

[2023] 9 एस. सी. आर 583:2023 आईएनएससी 559

क.

साक्षी अरहा

वी.

राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य (2022 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 16,428) 18 मई, 2023

[अजय रस्तोगी और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.]

न्यायिक सेवा-राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 -आर. 10-सिविल न्यायाधीश के पद के लिए चयन-जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना-प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया गया-आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया-प्रतिवादी द्वारा दिनांक 22.07.2021 पर जारी एक विज्ञापन, सिविल न्यायाधीश के पद के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया-अपीलकर्ता जो अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी लेयर), अधिक पिछड़े वर्ग (एन. सी. एल.) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) के सदस्य हैं, जिन्होंने अपनी संबंधित आरक्षित श्रेणी में पद के लिए आवेदन किया-परीक्षा आयोजित की गई-अपीलकर्ताओं ने अपनी श्रेणी में अधिक अंक प्राप्त किए, हालांकि, श्रेणी से संबंधित उनका प्रमाण पत्र कहीं बाद में 31.08.2021 यानी आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक था, आरक्षण का लाभ अपीलकर्ता को नहीं दिया गया था-उच्च न्यायालय में दायर लिखित-खारिज कर दिया गया था। (अजय रस्तोगी, जे.) के अनुसार: दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, जब नियम शांत होते हैं और ऐसा कोई निर्देश नहीं होता है कि विज्ञापन के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले की अवधि का श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए और प्रत्येक आवेदक ने भर्ती प्राधिकरण द्वारा मांगी गई श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जब उन उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई थी, जिन्हें 04.08.2022 पर साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से बुलाया गया था, तो प्रत्येक आवेदक ने निर्विवाद रूप से उस श्रेणी का अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिससे वे विज्ञापन के समय संबंधित थे और चयन प्रक्रिया में भाग लिया था-उच्च न्यायालय गलत हो गया था और आवेदन की अंतिम तिथि पर देखी जाने वाली पात्रता की शर्त से प्रभावित था-उत्तरदाताओं को प्रत्येक अपीलार्थी की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। (असहमति): यह अब समग्र नहीं है कि आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में इंगित एक निश्चित तिथि के अभाव में, जिसके संदर्भ में अपेक्षित पात्रता का निर्णय लिया जाना है, और जब नियम मौन हैं,

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

583 ए.

584 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

किसी उम्मीदवार की पात्रता की जांच के लिए एकमात्र निश्चित तिथि आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी-इसलिए, इस न्यायालय ने विवादित निर्णयों और आदेशों को पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं पाई।

उपयुक्त पीठ के गठन के लिए मामले को माननीय सीजेआई के समक्ष रखते हुए, न्यायालय ने

अजय रस्तोगी के अनुसार जे.

अवधारित **1.** यह सच है कि सामान्य नियम यह है कि भर्ती प्रक्रिया में भाग लेते समय, व्यक्ति के पास ऐसे उद्देश्य के लिए निर्धारित अंतिम तिथि पर पात्रता योग्यता होनी चाहिए, जब तक कि इसके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान न हो और निर्धारित तिथि तक आवश्यक पात्रता योग्यता रखने के मामले में कोई छूट नहीं दी जा सकती है और इसे आवश्यक प्रमाण पत्र या डिग्री प्रस्तुत करके स्थापित किया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो। लेकिन, साथ ही, आरक्षण या महत्व का लाभ प्राप्त करने के लिए, आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं, लेकिन वे आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए पात्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रमाण की प्रकृति के होते हैं, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि के साथ इसका कोई संबंध नहीं है और इसके विपरीत किसी भी नियम के अभाव में किसी भी कठोर सिद्धांत को लागू करना उचित नहीं हो सकता है। सावधानी के रूप में, आरक्षण का लाभ उठाने में सबूत जमा करने से संबंधित नियम के प्रत्येक उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा **32**] [606-एफ-एच; 607-ए] **2.** नियम **10** में निर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों की रिक्तियों का आरक्षण उम्मीदवार के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्रता की शर्त नहीं है क्योंकि आरक्षण का दावा करने के उद्देश्य से श्रेणी का प्रमाण पत्र उस स्तर पर नहीं उत्पन्न होगा जब आवेदन पत्र भरा जाता है और व्यक्तिगत उम्मीदवार द्वारा चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वयं घोषणा की जाती है, बल्कि उस स्तर पर जब चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार की जानी है क्योंकि अंतिम चयन सूची को उन उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देकर श्रेणी-वार प्रकाशित किया जाना है जिन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लिया है और बिना किसी अन्य उद्देश्य के और जब प्रतिवादी ने आवेदक से उस श्रेणी का अपना संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की मांग की है जिसके लिए किसी ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

585

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य ए

दिनांक **04 अगस्त, 2022** को निर्विवाद रूप से प्रत्येक आवेदक ने **22 जुलाई, 2021** के विज्ञापन के खंड **22 (3)** के साथ पठित खंड **6 (i)** और **(iii)** के संदर्भ में भर्ती प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर विज्ञापन के समय अपनी श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। [पैरा **34**] [607-ई-एच] **3.** इसके अलावा, नियमों की योजना, **2010** को ध्यान में रखते हुए, जो निर्विवाद रूप से विषय के मुद्दे पर मौन है और **22 जुलाई, 2021** के विज्ञापन से कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता है कि तत्काल मामले में आवेदन की अंतिम तिथि (**31 अगस्त, 2021**) से पहले की अवधि का जाति प्रमाण पत्र/श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। इसके विपरीत, विज्ञापन के खंड **22 (3)** के साथ पठित खंड **6 (i)** और **(iii)**, श्रेणी का ऐसा प्रमाण पत्र जिसे किसी ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए दावा किया है, भर्ती प्राधिकरण द्वारा मांग पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। [पैरा **38**] [610-बी-सी]

ग

4. दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, जब नियम शांत होते हैं और ऐसा कोई निर्देश नहीं होता है कि विज्ञापन के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले की अवधि का श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए और प्रत्येक आवेदक ने **4 अगस्त, 2022** को साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से बुलाए गए उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होने पर भर्ती प्राधिकरण द्वारा मांगी गई श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, तो प्रत्येक आवेदक ने निर्विवाद रूप से उस श्रेणी

का अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिससे वे विज्ञापन के समय संबंधित थे और चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। इस स्तर पर, उच्च न्यायालय गलत हो गया था और आवेदन की अंतिम तिथि पर जांच की जाने वाली पात्रता की शर्त से प्रभावित था, जबकि उस श्रेणी के प्रमाण पत्र के उत्पादन की जांच करते हुए जिसमें उम्मीदवार संबंधित है और चयन प्रक्रिया में भाग लिया है, किसी भी तरह से पात्रता की शर्तों के साथ सह-संबंधित नहीं है और जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे गैर-उपयुक्त हैं, अपीलार्थियों के दावे का तत्काल मामले के तथ्यों में कोई आवेदन नहीं है। [पैरा **39**] [610-डी-एफ] **15**. अपील सफल होती है और तदनुसार अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को निरस्त कर दिया जाता है और निर्धारित किया जाता है

डी.

ई.

च

जी.

एच.

586 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

और प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे **22** जुलाई, **2021** के विज्ञापन के अनुसार आयोजित चयन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी पर सिविल न्यायाधीश के पद पर वरिष्ठता सहित परिणामी लाभों के साथ नियुक्ति के लिए प्रत्येक अपीलार्थी की उम्मीदवारी पर विचार करें। [पैरा **43**] [612-सी-डी]

अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ और अन्य

(2007) 4 एससीसी 54:[2007] 3 एस. सी. आर. 95; ज्योति बेनीवाल बनाम

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर अपने महापंजीयक के माध्यम से और एक अन्य (डी. बी. सिविल रिट)

याचिका No.11784/2022); राकेश कुमार शर्मा बनाम.

राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य (2013) 11 एस. सी. सी. 58; रेखा चतुर्वेदी (श्रीमती) बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय और

ग

अन्य (1993) 3 एस. सी. सी. 168:[1993] 1 एससीआर 186;

भूपिंदरपाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2000) 5 एस. सी. सी. 262; जसबीर रानी और अन्य बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य (2002) 1 एस. सी. सी. 124:[2001] 4 पूरक।एससीआर 494; शंकर के. मंडल और अन्य बनाम।

डी.

बिहार और अन्य राज्य (2003) 9 एस. सी. सी. 519:[2003]

3 एस. सी. आर. **796**; डॉली छांडा बनाम अध्यक्ष, जी और अन्य

(2005) 9 एससीसी 779:[2004] 5 पूरक।एससीआर 79; राम

कुमार गिजरोया बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन

बोर्ड और एक और (2016) 4 एस. सी. सी. 754; कर्ण सिंह

ई.

यादव बनाम दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (2022) एस. सी. सी.

ऑनलाइन एससी 1341-संदर्भित। निर्णीत विधि संदर्भ

[2007] 3 एससीआर 95

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

च

(2013) 11 एससीसी 58

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[1993] 1 एससीआर 186

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

(2000) 5 एससीसी 262

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[2001] 4 पूरक।एस. सी. आर. 494 पैरा 26 [2003] 3 एस. सी. आर. 796 पैरा 26 [2004] 5 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. 79 पैरा 35 (2016) 4 एस. सी. सी. 754 पैरा 36 ए.

जी.

एच.

587

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य ए

बेला एम. त्रिवेदी, जे. (असहमति जताते हुए) होल्ड:1. सबसे पहले, यह ध्यान देने योग्य है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ. बी. सी.-एन. सी. एल./एम. बी. सी.-एन. सी. एल./ई. डब्ल्यू. एस. जैसी आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र संबंधित राज्य सरकारों के सक्षम अधिकारियों द्वारा भारत के संविधान में निहित प्रावधानों और इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों/सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जारी किए जा रहे हैं। किसी व्यक्ति की स्थिति चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित हो, उस जाति पर निर्भर करती है जिससे वह जन्म से संबंधित है, और ऐसी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी और स्थिर रहेगी, हालांकि, किसी व्यक्ति की स्थिति चाहे वह ओ. बी. सी.-एन. सी. एल./एम. बी. सी.-एन. सी. एल./ई. डब्ल्यू. एस. से संबंधित हो, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगी, और ऐसी स्थिति उसकी आय के आधार पर बदलती रहेगी और इसलिए गतिशील होगी। यह कानून की बहुत अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को एक अलग श्रेणी के रूप में माना जाता था और माना जाता है, और "मलाईदार परत" का सिद्धांत उक्त श्रेणियों पर लागू नहीं होता है। यह केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों पर लागू होता है। इसलिए, ओ. बी. सी.-एन. सी. एल./एम. बी. सी.-एन. सी. एल./ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख यह पता लगाने के उद्देश्य से

महत्वपूर्ण है कि क्या उम्मीदवार किसी विशेष आरक्षित श्रेणी से संबंधित होने का दावा करता है, उस तारीख को जब उसने ऐसी श्रेणी के तहत प्रश्रुत पद के लिए आवेदन किया था, वास्तव में उस तारीख को उक्त श्रेणी से संबंधित था जिस दिन ऐसा आवेदन किया गया था या विज्ञापन में निर्धारित तिथि पर।[पैरा **14**] [625-डी-जी]

ग

डी.

ई.

च

2. दिनांक **22.07.2021** के उक्त विज्ञापन में निहित उक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि किसी उम्मीदवार ने किसी भी आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन किया था, तो उससे ऐसी श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए अपनी पात्रता दिखाने के लिए निर्धारित प्रारूप में नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक वैध प्रमाण पत्र होने की उम्मीद की जाती थी। उक्त विज्ञापन के खंड **17** में बताए गए इस तरह के आवेदन करने की समय सीमा **31.08.2021** पर शाम **5** बजे तक थी। इन परिस्थितियों में, उम्मीदवार से उम्मीद की जाती थी कि

जी.

एच.

588 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

यह दिखाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र कि वह आवेदन करने की तारीख को या आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि यानी **31.08.2021** पर संबंधित आरक्षित श्रेणी से संबंधित है। संबंधित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ऐसा प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा दिनांकित **09.09.2015** द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए और जैसा कि दिनांकित **08.08.2019** परिपत्र में स्पष्ट किया गया है, जो ऐसे प्रमाण पत्रों की वैधता के संबंध में मुद्दे को नियंत्रित करता है।[पैरा **22**] [630-सी-ई]

3. सभी अपीलकर्ताओं ने अपने संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे जो उनके द्वारा आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि यानी **31.08.2021** के बाद प्राप्त किए गए थे, और दिनांकित **09.09.2015** और **08.08.2019** परिपत्रों के अनुपालन में इसके समर्थन में दस्तावेज/शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किए थे। इसलिए, साक्षात्कार के समय अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों को वैध प्रमाण पत्र नहीं कहा जा सकता है जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा दिनांकित **22.07.2021** विज्ञापन में अनिवार्य है।[पैरा **23**] [630-एच; 631-ए]

ग

डी.

4. अपीलार्थियों के वकील द्वारा यह प्रस्तुत करने की मांग की गई थी कि अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्रों की वैधता अवधि के बारे में विज्ञापन में कोई विशिष्ट तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था, और बाद में **04.08.2022** का नोटिस जिसमें अपीलार्थियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, अत्यधिक अनुचित था, और चयन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदलने के समान था। न्यायालय उक्त तर्क में कोई सार नहीं पाता है। जैसा कि पहले कहा गया था, विज्ञापन में विशिष्ट निर्देश दिए गए थे कि आरक्षित श्रेणियों के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र जमा करने होते थे, और इसलिए ऐसे प्रमाण पत्र राज्य सरकार के दिनांकित **09.09.2015** और **08.08.2019** के परिपत्रों के अनुरूप होने चाहिए जो ऐसे प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि को नियंत्रित करते थे। प्रतिवादी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बाद के नोटिस में ओ. बी. सी./एम. बी. सी.

(एन. सी. एल.) से संबंधित उम्मीदवारों को अंतिम तिथि से एक वर्ष से पहले जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

ई.

च

जी.

एच.

589

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य ए

आवेदन पत्र जमा करने के लिए, अर्थात् **31.08.2021**, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए उक्त परिपत्रों के अनुरूप था। आई. डी. **1** दिनांकित उक्त सूचना में यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि ओ. बी. सी./एम. बी. सी. (एन. सी. एल.) प्रमाण पत्र आई. डी. **2** और आई. डी. **3** के बीच जारी किया गया था, तो जाति प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के लिए, यह कहा गया था कि ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी में आरक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र **01.04.2021** से पहले जारी नहीं किया गया होना चाहिए और यदि आय और संपत्ति प्रमाण पत्र **01.04.2019** और **31.03.2021** के बीच जारी किया गया था, तो प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि एससी/एसटी/ओ. बी. सी./एम. बी. सी./ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यानी **31.08.2021** के बाद जारी नहीं किया गया होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक ऐसे निर्देशों को न तो अनुचित कहा जा सकता है और न ही चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों में बदलाव के रूप में माना जा सकता है, वे दिनांक **1** के विज्ञापन में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुरूप हैं और जाति प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप हैं। [पैरा **24**] **[631-बी-एच; 632-ए]**

ग

डी.

ई.

5. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब कोई उम्मीदवार किसी विशेष आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करता है, तो उसके पास उस तारीख को उस विशेष श्रेणी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जिस दिन वह उक्त श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए अपनी पात्रता दिखाने के लिए आवेदन करता है। यदि ऐसे प्रमाण पत्र उनके आवेदन की तारीख के बाद या विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किए जाते हैं, तो ऐसे प्रमाण पत्रों को वैध प्रमाण पत्र नहीं कहा जा सकता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां उम्मीदवार ओ. बी. सी.-एन. सी. एल. या ई. डब्ल्यू. एस. के तहत आवेदन करता है, जो श्रेणी अत्यधिक गतिशील है और स्थिर नहीं है, क्योंकि उम्मीदवार की आर्थिक स्थिति उम्मीदवार की आय के आधार पर बदलती रहेगी। [पैरा **25**] **[632-बी-सी]**

च

जी.

6. यह अब समग्रता नहीं है कि आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में निर्दिष्ट तिथि के अभाव में, संदर्भ के साथ

एच.

जिसके लिए अपेक्षित पात्रता का आकलन किया जाना है, और जब नियम शांत हो जाते हैं, तो किसी उम्मीदवार की पात्रता की जांच के लिए एकमात्र निश्चित तिथि आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। यह नहीं कहा जा सकता है कि साक्षात्कार या चयन की तारीख हमेशा अनिश्चित होगी और तारीख की अनिश्चितता एक विसंगत स्थिति पैदा कर सकती है क्योंकि वे उम्मीदवार जो आवेदन करने की तारीख को आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करने के योग्य नहीं थे, वे भी आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं और बाद में साक्षात्कार आयोजित होने तक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में, शरारत करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तत्काल मामले में, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **31.08.2021** थी और साक्षात्कार अगस्त **2022** में तय किए गए थे। इसलिए, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और साक्षात्कार की तारीख के बीच एक पूरे वर्ष का अंतराल था, इस अवधि के दौरान उम्मीदवारों की "क्रीमी लेयर/नॉन-क्रीमी लेयर/ईडब्ल्यूएस" की आर्थिक स्थिति और परिणामी स्थिति भी बदल सकती थी। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा तय की गई कानून की व्याख्या यह है कि विज्ञापन में इंगित एक निश्चित तिथि के अभाव में, और जब नियम भी शांत हो जाते हैं, तो आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि उम्मीदवारों की पात्रता की जांच की तारीख होगी। [पैरा **29**] **[633-एफ-एच; 634-ए-बी]**

ग

डी.

ई.

7. यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि अपीलकर्ताओं को विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि यानी **31.08.2021** के बाद जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी, तो अपीलकर्ताओं के समान स्थिति अन्य उम्मीदवार उन्हें ऐसा अवसर नहीं देने के लिए शिकायत कर सकते हैं। अपीलार्थी जो चूककर्ता हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों को वैध स्वीकार करके उन्हें वरीयता नहीं दी जा सकती थी, हालांकि वे विज्ञापन में निर्धारित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किए गए थे। उक्त प्रमाणपत्रों को सरकारी परिपत्रों दिनांक **09.09.2015** और **08.08.2019** के अनुसार आवश्यक शपथ पत्रों द्वारा भी समर्थित नहीं किया गया था। [पैरा **33**] **[635-एच; 636-ए-बी]**

च

जी.

8. मामले के पूर्व-वर्णित तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को कोई त्रुटि नहीं मिली है

एच.

591

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य ए

विवादित निर्णयों और आदेशों को पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। [पैरा **34**] **[636-सी]**

डॉ. एम. वी. नायर बनाम भारत संघ और अन्य। **(1993) 2 एससीसी 429**; अशोक कुमार शर्मा और अन्य बनाम चंदर शेखर

& एन. आर. (1997) 4 एससीसी 18: [1997] 2 एस. सी. आर. 896-निर्भर।

डॉली छांडा बनाम अध्यक्ष, जे. ई. ई. और अन्य। **(2005) 9 एससीसी**

779 :[2004] 5 पूरक।एस. सी. आर. 79; राम कुमार गिजरोया बनाम

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और एएनआर। (2016) 4 एससीसी 754; कर्ण सिंह यादव बनाम सरकार

दिल्ली के एन. सी. टी. और अन्य। 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1341;

ग

अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ और अन्य। (2007)

4 एससीसी 54:[2007] 3 एससीआर 95; राकेश कुमार शर्मा

v. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और अन्य। (2013) 11 एससीसी 58; इंद्र साहनी और ओआरएस. वी.भारत संघ और अन्य। 1992 पूरक

(3) 217 :[1992] 2 पूरक।एससीआर 454; एम. नागराज और ओआरएस बनामभारत संघ और अन्य। (2006) 8 एससीसी 212:[2006] 7

डी.

पूरक।एस. सी. आर. 336; अशोक कुमार ठाकुर बनाम संघ

भारत और ओआरएस। (2008) 6 एससीसी 1:[2008] 4 एस. सी. आर. 1; जनहित

अभियान बनाम भारत संघ डब्ल्यू. पी. (C) 55/2019; रेखा चतुर्वेदी बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य

(1993) 3 मान लीजिए एस. सी. सी. 168:[1993] 1 एस. सी. आर. 186-संदर्भित।

ई.

निर्णीत विधि संदर्भ

[2004] 5 पूरक।एस. सी. आर. 79 पैरा 12 (2016) 4 एस. सी. सी. 754 पैरा 12 [2007] 3 एस. सी. आर. 95

च

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

(2013) 11 एससीसी 58

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[1992] 2 पूरक।एस. सी. आर. 454 पैरा 15 [2006] 7 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा 16 [2008] 4 एस. सी. आर. 1 में निर्दिष्ट एस. सी. आर. 336

जी.

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

(1993) 2 एस. सी. सी. 429

पर भरोसा किया

पैरा 30

एच.

592 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

[1993] 1 एससीआर 186

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[1997] 2 एससीआर 896

पर भरोसा किया

पैरा 32

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील सं. 3957।

2022 के डी. बी. सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 12374 में जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 06.09.2022 से। सह

2023 की सिविल अपील संख्या 3958-3961, 3963, 3962, 3908 और 3909। ऋषभ संचेती, सुश्री पद्म प्रिया, अंचित भंडारी, सुयश जैन, चिराग कलानी, जीशान अली, के. परी वेंधन, अभिसार भानू, प्रिंस, अर्चित उपाध्याय, शुभम मिश्रा, वैभव शाही, श्रीमती प्रशिता मिश्रा, अन्वेष सोनी, पल्लव मोंगिया, अंकुश मंगल, तुषार श्रीवास्तव, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

ग

गोपाल झा, अजय चौधरी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए। न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

डी.

रास्टोगी, जे।

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. हमारे समक्ष अपीलकर्ताओं के वर्तमान समूह में अन्य पिछड़े वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर यानी, एन. सी. एल.); अधिक पिछड़ा वर्ग (एन. सी. एल.) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) की श्रेणी के सदस्य हैं, जो अंततः 22 जुलाई, 2021 को प्रतिवादी द्वारा जारी एक विज्ञापन के अनुसार सिविल न्यायाधीश के पद के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उन पर उस श्रेणी में विचार नहीं किया गया है जिससे वे संबंधित हैं क्योंकि प्रत्येक अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई श्रेणी का प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शाई गई अंतिम तिथि, यानी 31 अगस्त, 2021 के बाद है और उनमें से प्रत्येक दुर्भाग्य से खुली श्रेणी में अर्हता प्राप्त नहीं कर सके, अनुच्छेद 22 के तहत दायर रिट याचिका में कहा गया है।

ई.

च

जी.

3. अभिलेख से मामले के संक्षिप्त तथ्य यह निकलते हैं कि सिविल न्यायाधीश का पद, जिससे हम संबंधित हैं, ए में शामिल है।

एच.

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [अजय रस्तोगी, जे।] ए.

राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 से जुड़ी अनुसूची (जिसे इसके बाद "नियम, 2010" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) और इसे केवल भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है जैसा कि नियम, 2010 के भाग IV के तहत प्रदान किया गया है।

4. भर्ती की विधि के अलावा, यह देखा जा सकता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अधिक पिछड़े वर्ग/विकलांग व्यक्तियों और महिला उम्मीदवारों को नियम, 2010 के नियम 10 के तहत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। नियम 10 (2) और (5) के तहत इस शर्त के साथ कि भर्ती के किसी विशेष वर्ष में ओ. बी. सी./एम. बी. सी. के बीच उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में, उनके लिए इस तरह से आरक्षित रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा और ऐसे रिक्त पदों को बाद के भर्ती वर्ष में आगे बढ़ाया जाएगा। 5. कि नियम, 2010 के नियम 20 के तहत निर्दिष्ट परीक्षा योजना के अनुसार, सिविल न्यायाधीश के पद पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा भर्ती प्राधिकरण द्वारा दो चरणों में आयोजित की जाएगी, अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा और उसके बाद नियम, 2010 के भाग-4 में निर्दिष्ट योजना के अनुसार मुख्य परीक्षा। इस शर्त के साथ कि मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्य घोषित उम्मीदवारों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को उनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा और मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंक योग्यता निर्धारित करने में शासी कारक होंगे और जिन्हें अंततः योग्यता सूची में रखा जाएगा, उनके नामों की सिफारिश नियम 24 के तहत नियुक्ति के लिए भर्ती प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और नियुक्तियां नियम, 2010 के नियम 26 के संदर्भ में न्यायालय के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा की जाएंगी।

ग

डी.

ई.

च

6. सिविल जज की वर्ष की लगभग 120 रिक्तियों का विज्ञापन प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2021 के विज्ञापन के अनुसार किया गया था और विज्ञापन के खंड 4 के तहत संदर्भित सारणीकरण चार्ट में श्रेणी-वार आरक्षण का संकेत दिया गया था, जिसे नीचे दिया गया है:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

एच.

594 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

ग

डी.

*बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित 05 पदों में से, 1 (एक) पद अंधेपन और कम दृष्टि के लिए, 1 (एक) बधिर और सुनने में कठिनाई के लिए, 1 (एक) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर विकलांगता के लिए और 2 (दो) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी के लिए आरक्षित है।

ई.

7. विज्ञापन के खंड 5 के तहत, यह संकेत दिया गया है कि विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के अभाव में, उन रिक्त रिक्तियों को भरने के लिए क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए, जिसमें एक नोट जोड़ा गया है कि जो आवेदक राजस्थान राज्य से हैं और अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमी लेयर)/अधिक पिछड़े वर्ग (क्रीमी लेयर) के सदस्य हैं और राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के आवेदक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर/गैर-क्रीमी लेयर) और अधिक पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर/गैर-क्रीमी लेयर) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा और जैसा कि खंड 6 (आई) के तहत संदर्भित किया गया है।

च

जी.

एच.

595

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [अजय रस्तोगी, जे।] ए.

संबंधित भर्ती प्राधिकरण। विज्ञापन के खंड 22 (3) के साथ पठित खंड 6 (i) और (iii) के उद्धरण को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“6. विभिन्न श्रेणियों के प्रमाण पत्र के संदर्भ में

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और उच्च पिछड़े वर्ग में आरक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में नियमों के अनुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

((ख)।

(iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में नियमों के अनुसार जारी किए गए प्रमाण पत्र को आवेदक के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होने की स्थिति में प्रस्तुत करना होगा।

ग

....

“22. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(1)-(2)

डी.

(3) आवेदकों के लिए सभी संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसके आधार पर वे राजस्थान उच्च न्यायालय या संबंधित नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर कोई दावा करते हैं।

(4)"

ई.

8. निर्देशों ने संकेत दिया कि खंड 22 (3) के साथ पठित खंड 6 (i) और (iii) के संदर्भ में, आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले आवेदकों को उच्च न्यायालय या संबंधित नियुक्ति प्राधिकरण की मांग पर ऐसा प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आवेदन पत्र भरने के चरण में या किसी भी चरण में आरक्षण के लाभ का दावा करने वाली श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि, इसे भर्ती प्राधिकरण द्वारा मांग पर प्रस्तुत किया जाना है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एम. बी. सी. (एन. सी. एल.) और ई. डब्ल्यू. सी. के लिए आरक्षण पहली बार 22 जुलाई, 2021 के एक विज्ञापन के अनुसार आयोजित तत्काल चयन प्रक्रिया में शुरू किया गया है।

च

जी.

9. ओ. बी. सी.-एन. सी. एल., एम. बी. सी.-एन. सी. एल. या ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ आरक्षण का दावा करने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रासंगिक आवश्यकता को प्रतिवादी द्वारा इस शर्त के साथ अधिसूचित किया गया था कि प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के एक वर्ष से पहले की अवधि का नहीं होना चाहिए, यानी आवेदन के लिए 31 अगस्त, 2021।

एच.

596

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

पहली बार 04 अगस्त, 2022 के अपने नोटिस द्वारा जिसका संदर्भ दिया गया है। श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र के संदर्भ में प्रत्यर्थी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों के उद्धरण को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“ (iii) श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र

ए। ओ. बी. सी./एम. बी. सी. (गैर क्रीमी परत) प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यानी 31.08.2021 से एक वर्ष पहले जारी नहीं किया गया हो।

बी। यदि ओ. बी. सी./एम. बी. सी. (गैर क्रीमी परत) प्रमाण पत्र 31.08.2018 और 30.08.2020 के बीच जारी किया जाता है, तो जाति प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ग

ग. ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के मामले में-ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी में आरक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक आय और संपत्ति 01.04.2021 से पहले जारी नहीं की जानी चाहिए।

यदि आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र 01.04.2020 और 31.03.2021 के बीच जारी किया जाता है, तो प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

डी.

डी। एससी/एसटी/ओ. बी. सी./एम. बी. सी./ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यानी 31.08.2021 के बाद जारी नहीं किया गया होना चाहिए।”

ई.

(जोर दिया गया) 10.प्रत्यर्थी का यह मामला नहीं है कि अपीलकर्ता में से कोई भी संबंधित आरक्षित श्रेणी यानी ओ. बी. सी.-एन. सी. एल., एम. बी. सी.-एन. सी. एल. या ई. डब्ल्यू. एस. से संबंधित नहीं है, लेकिन श्रेणी से संबंधित उनका प्रमाण पत्र बाद की तारीख से कट-ऑफ तिथि यानी 31 अगस्त, 2021 तक का है, लेकिन प्रत्येक आवेदक को हालांकि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्हें उस श्रेणी से संबंधित अपने प्रमाण पत्र के लाभ का दावा करने की अनुमति नहीं थी जो प्रस्तुत की गई थी और जिसे खुली श्रेणी में माना गया था।

च

11. जब परिणाम अंततः प्रकाशित हुआ, तो निर्विवाद रूप से, प्रत्येक आवेदक ने अपनी-अपनी श्रेणी में उच्च अंक प्राप्त किए, जैसे कि ओ. बी. सी.-एन. सी. एल., एम. बी. सी.-एन. सी. एल. या ई. डब्ल्यू. एस., जैसा भी मामला हो, और योग्यता में कम उम्मीदवारों का चयन प्रत्यर्थी द्वारा किया गया है, लेकिन चूंकि श्रेणी से संबंधित उनका प्रमाण पत्र कट-ऑफ तिथि यानी 31 अगस्त, 2021 (आवेदन पत्र की अंतिम तिथि) के बाद कहीं है, ए.

जी.

एच.

597

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [अजय रस्तोगी, जे।] ए.

आरक्षण का लाभ नहीं बढ़ाया गया है और चूंकि प्रत्येक आवेदक खुली श्रेणी में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहा है, इसलिए उन्हें अंततः सिविल न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने से इनकार कर दिया गया और इस तथ्य का समर्थन 30 अगस्त, 2022 की सूचना द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित सिविल न्यायाधीश संवर्ग 2021 की भर्ती के परिणाम से किया जा सकता है, जो इंगित करता है कि वर्तमान अपीलकर्ताओं ने अपनी संबंधित श्रेणी में उच्च अंक प्राप्त किए हैं, जिनकी अंततः ओ. बी. सी.-एन. सी. एल., एम. बी. सी.-एन. सी. एल. या ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है, जिससे वर्तमान अपीलकर्ता संबंधित हैं और सुविधा के लिए, प्रतिवादी द्वारा तैयार किए गए तुलनात्मक विवरण को सारणीकरण प्रपत्र में निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“ओ. बी. सी.-एन. सी. एल. श्रेणी-एस. एल. पी. (सी) No.5654/2023, एस. एल. पी. (सी) No.16428 2022, एस. एल. पी. (सी) Nos.18296-18299/2022

डी.

ई.

“एम. बी. सी.-एन. सी. एल. श्रेणी-सुनील गुर्जर एस. एल. पी. (सी) No.19179/22 और कुलदिप भाटिया एस. एल. पी. (सी) No.21644/22

च

एस. नं.	याचिकाकर्ता का नाम	प्राप्त किए गए अंक	कट ऑफ जनरल	कट ऑफ मार्क्स एम. बी. सी.-एन. सी. एल	एम. बी. सी.-एन. सी. एल. प्रमाणपत्र की तिथि	उत्तरा अनुसा एमबीएस एल. प्र
1	सुनील सिंह गुर्जर	172	179.5	141	18.06.2018 & 16.06.2022	31.0 31.08
2	कुलदिप भाटिया	141.5	179.5	141	03.08.2012 & 09.03.2022	“

जी.

“ईडब्ल्यूएस श्रेणी-2023 की पारुल जैन एसएलपी (सी) डायरी No.1581

एच.

598 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

12. प्रत्यर्थी द्वारा यह विवादित नहीं है कि प्रत्येक आवेदक के पास अपनी संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र है और यह 4 अगस्त, 2022 के अपने नोटिस के तहत प्रत्यर्थी द्वारा मांगे जाने पर पूर्व तिथि का है।

ग

13. यह रिकॉर्ड में आया है कि राजस्थान राज्य द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 9 सितंबर, 2015 को जारी रोजगार की मांग के संदर्भ में श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से परिपत्र जारी किए गए हैं, जिसके बाद 08 अक्टूबर, 2019 को ओ. बी. सी.-एन. सी. एल., एम. बी. सी.-एन. सी. एल. या ई. बी. सी. के प्रमाण पत्र की वैधता का संकेत दिया गया है और चूंकि बहुत भ्रम था और परिपत्र बड़े पैमाने पर लोगों के लिए सुलभ नहीं थे और अदालतों के समक्ष मुकदमेबाजी लंबित थी, इसलिए राज्य सरकार ने कदम उठाया और इसके आगे बढ़ते हुए 17 अक्टूबर, 2022 को अपना निर्देश जारी किया और इस स्पष्टीकरण के साथ आई कि यदि किसी भी कारण से उम्मीदवार ने आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और अंतिम तिथि के बाद एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। 17 अक्टूबर, 2022 के अपने निर्देश के तहत मांग की गई आवश्यकताओं को पूरा करने और चल रहे मुकदमेबाजी को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए स्पष्टीकरण का उद्धरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

ई.

च

“यदि किसी कारण से किसी उम्मीदवार ने आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद जारी किया गया है, तो उस स्थिति में उम्मीदवार को इस पहलू पर एक हलफनामा लिखना चाहिए कि उसके पास संबंधित वर्ग की योग्यता थी और यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।”

जी.

14. पुनरावृत्ति के लिए, यह देखा जा सकता है कि यह प्रत्यर्थी का मामला नहीं है कि या तो अपीलार्थी ए की पात्रता नहीं रखता है

एच.

599

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [अजय रस्तोगी, जे।] ए.

संबंधित श्रेणी जिसमें वह 22 जुलाई, 2021 के विज्ञापन के संदर्भ में संबंधित है और उनकी एकमात्र गलती यह है कि श्रेणी से संबंधित उनका प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि (यानी 31 अगस्त, 2021) के बाद की तारीख का है, जिसमें 04 अक्टूबर, 2022 के नोटिस के संदर्भ में उस श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की मांग की गई है जिसमें उन्हें अस्थायी रूप से साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था।

15. अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की जा रही एक रिट याचिका पर, जिसमें उन्होंने आरक्षण के लाभ का दावा करने की अनुमति नहीं देने के लिए प्रतिवादी की कार्यवाही पर आरोप लगाया गया है और उनमें से प्रत्येक ने संबंधित श्रेणी की कट-ऑफ पर अधिक अंक प्राप्त करने के बाद अर्हता प्राप्त की है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने दावे को इस आधार पर लागू नहीं किया है कि उनमें से प्रत्येक आवेदन की अंतिम तिथि यानी 31 अगस्त, 2021 को अपनी श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

ग

अशोक कुमार सोनकर बनाम संघ मामले में इस न्यायालय के फैसले पर

भारत और अन्य (2007) 4 एस. सी. सी. 54 ने अभिनिर्धारित किया कि आवेदन की अंतिम तिथि पात्रता निर्धारित करने के लिए एक कसौटी है और चूंकि उनमें से प्रत्येक 31 अगस्त, 2021 को या उससे पहले श्रेणी से संबंधित अपना-अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा था, इसलिए उन्हें संबंधित श्रेणी में विचार किए जाने के लिए अयोग्य माना जाता है और क्योंकि उनमें से प्रत्येक 18 अगस्त के विवादित निर्णय के तहत सिविल न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त मानी जाने वाली खुली श्रेणी में अर्हता प्राप्त करने में सक्षम नहीं था।

डी.

2022 ज्योति बेनीवाल बनाम के मामले में। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर अपने महापंजीयक के माध्यम से और एक अन्य (डी. बी. सिविल)

ई.

रिट याचिका No.11784/2022) और जिसे बाद में दायर की गई रिट याचिकाओं में संदर्भित किया गया था और सभी का निपटारा ज्योति बेनीवाल (सुप्रा) के फैसले पर 6 सितंबर, 2022 के बाद के विवादित फैसले द्वारा किया गया था और अपीलकर्ता पारुल जैन के मामले में, ज्योति बेनीवाल (सुप्रा) में उच्च न्यायालय के उसी फैसले पर भरोसा करते हुए 18 नवंबर, 2022 को अलग से फैसला पारित किया गया था और यह हमारे सामने अपील में चुनौती का विषय बन गया था।

च

16. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं कि यह किसी भी स्तर पर इंगित नहीं किया गया था कि आरक्षण का दावा करते समय आवेदकों/उम्मीदवारों द्वारा जिस तिथि तक प्रस्तुत किया जाना है, उस श्रेणी का प्रमाण पत्र और प्रत्येक अपीलार्थी के पास अपनी-अपनी श्रेणी का प्रमाण पत्र होता है और तदनुसार, उनमें से प्रत्येक ने अपने आवेदन पत्र में उस श्रेणी के संबंध में उल्लेख किया है जिसका वे चयन प्रक्रिया में भाग लेने का इरादा रखते हैं और हालांकि प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए दी गई अनुमति अस्थायी थी, लेकिन किसी ने इसकी जांच नहीं की है।

जी.

एच.

600

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

कोई भी चरण कि आवश्यकता क्या है और चूंकि नियम योजना, 2010 या 22 जुलाई, 2021 के विज्ञापन में उस श्रेणी के प्रमाण पत्र का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है, जिसके लिए अपीलार्थी को दावा प्रस्तुत करना है, वह किस तारीख या वर्ष का है। उनमें से प्रत्येक ने ईमानदारी से अनुरोध किया था कि जिस श्रेणी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है, वह सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उचित अनुपालन के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है और दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 31 अगस्त, 2021 को श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक पवित्र तिथि के रूप में लेने वाले विवादित फैसले के तहत जो कठोरता रखी गई है, वह 2010 के नियमों के तहत या उस विज्ञापन में कहीं भी निर्धारित नहीं है, जिसके लिए हम चिंतित हैं, जिस आधार पर उच्च न्यायालय ने कार्रवाई की है, वह पूरी तरह से गलत है।

ग

17. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है वह तत्काल मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है क्योंकि जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है वे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित हैं और उन मामलों में जहां नियम शांत हैं या चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले सक्षम प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकरण द्वारा कोई प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं किया गया है, इस न्यायालय ने कदम उठाया है और एक सिद्धांत निर्धारित किया है कि शैक्षणिक योग्यता रखने की आवश्यकता का संकेत देने वाले नियमों के अभाव में, आवेदन भरने की अंतिम तिथि को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने के लिए आवेदक के लिए एक बेंचमार्क माना जाता है।

डी.

ई.

18. लेकिन हम इस मामले में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या जन्म तिथि के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो नियम योजना, 2010 के तहत परिभाषित है। दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, जिस आधार पर वर्तमान अपीलकर्ताओं का दावा उच्च न्यायालय द्वारा गैर-उपयुक्त रहा है कि वे 31 अगस्त, 2021 को या उससे पहले श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे, वह पूरी तरह से बिना किसी आधार/आधार के है, जिसमें कोई सांठगांठ नहीं है और उन सभी को आश्चर्यचकित कर दिया गया है, जबकि उन्हें 31 अगस्त, 2021 को या उससे पहले श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की मांग करते हुए अधिसूचित किया गया था, जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन इसे पहली बार अधिसूचित किया गया था जब साक्षात्कार के लिए बुलाने वाले उम्मीदवारों की अनंतिम सूची 4 अगस्त, 2022 को प्रकाशित की गई थी।

च

जी.

19. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि वे सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रहे हैं और समाज के एक गरीब वर्ग से संबंधित हैं, जिनके पास शहरी ए में उपलब्ध उन्नत तकनीक को जानने का कोई साधन नहीं है।

एच.

601

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [अजय रस्तोगी, जे।] ए.

शहरों में और अपनी ओर से उपलब्ध न्यूनतम सुविधाओं के साथ, फिर भी वे प्रतियोगी परीक्षा को क्रेक करने में सक्षम होते हैं और जब यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं होता है कि अपीलकर्ता में से कोई भी उस श्रेणी का सदस्य नहीं है जो उनके द्वारा मूल रूप से गैर-सूट के लिए दायर आवेदन पत्र में इंगित किया गया था, जब वे अंततः प्रतिस्पर्धी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे और जैसा कि सूचित किया गया था कि उम्मीदवारों द्वारा गैर-शामिल होने के कारण रिक्तियां उपलब्ध हैं, उन्हें इस प्राधिकरण द्वारा सफल घोषित किए जाने पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों/उम्मीदवारों के अधिकारों को बाधित या छीनने के बिना आसानी से विज्ञापित रिक्तियों के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है।

20. इसके विपरीत, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष का समर्थन करते हुए, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में यह तय किया जा रहा है कि पात्रता पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि या संबंधित नियमों में इंगित कट-ऑफ तिथि पर विचार किया जाना है। तत्काल मामले में, जब ऐसी परिस्थितियों में नियम शांत होते हैं, तो इस न्यायालय द्वारा जो निर्धारित किया जा रहा है वह इस विषय पर कानून है और आवेदक की पात्रता पर आवेदन की अंतिम तिथि पर गौर किया जाना चाहिए, जो तत्काल मामले में 31 अगस्त, 2021 है और यह स्वीकार किया जाता है कि प्रत्येक आवेदक के पास 31 अगस्त, 2021 से पहले की अवधि की मांग के अनुसार श्रेणी से संबंधित अपना प्रमाण पत्र नहीं था और तदनुसार, प्रतिवादी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई थी और उसे उचित रूप से खुली श्रेणी में माना गया है और यह अपीलकर्ता का मामला नहीं है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी सिफारिश की गई है और खुली श्रेणी में नियुक्त किया गया है, वह 21 जुलाई, 2021 के विज्ञापन के अनुसार प्रतिवादी द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में योग्यता के क्रम में कम है और उसके प्रस्तुत करने के समर्थन में है।

ग

डी.

ई.

इसके बाद राकेश कुमार शर्मा बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और

च

अन्य (2013) 11 एस. सी. सी. 58 और प्रस्तुत करता है कि यह इस न्यायालय द्वारा आयोजित और उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया एक तय कानून होने के नाते, उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

21. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

जी.

22. यह विवादित नहीं है कि सिविल न्यायाधीश का पद नियम, 2010 में संलग्न अनुसूची में शामिल है और इसे भाग IV के संदर्भ में सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है और विज्ञापन को उत्तरदाताओं द्वारा 22 जुलाई, 2021 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें वर्ष 2020-2021 के लिए सिविल न्यायाधीश की 120 रिक्तियों के लिए चयन किया गया था।

एच.

602

23. यह विवादित नहीं है कि 2010 का नियम एक पूर्ण संहिता है और उस तारीख के संदर्भ में मौन है जब श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है और जहां तक विज्ञापन का संबंध है, यह कहीं भी इस बात का संकेत नहीं देता है कि उन आवेदकों द्वारा जाति संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण तिथि क्या होनी चाहिए जो चयन प्रक्रिया में भाग लेने का इरादा रखते हैं और स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक अपीलार्थी के पास श्रेणी का प्रमाण पत्र और उससे पहले की अवधि है जैसा कि प्रतिवादी द्वारा अधिसूचित किया गया है, जबकि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की उनकी अनंतिम सूची 4 अगस्त, 2022 को प्रकाशित की गई है।

24. यह ध्यान दिया जा सकता है कि एम. बी. सी. (एन. सी. एल.) और ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के लिए आरक्षण पहली बार शुरू किया गया है और उम्मीदवार उस प्रक्रिया और प्रारूप के लिए पूरी तरह से अलग हैं जिसमें उनकी श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है और जहां तक ई. डब्ल्यू. एस. कोटे में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता के पिता पारुल जैन ने पिछले वर्षों के आयकर रिटर्न जमा किए और 16 अगस्त, 2021 को ई-मित्र कियोस्क पर ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया और अपीलकर्ता को आश्वासन दिया गया कि वह 6-7 दिनों के भीतर ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा उसके प्रमाण पत्र की मांग के बावजूद, इसे ई-मित्र कियोस्क द्वारा 7 सितंबर, 2021 को जारी किया गया था।

ग

डी.

25. यह भी विवादित नहीं है कि या तो विज्ञापन में जिसे शुरू में 22 जुलाई, 2021 को अधिसूचित किया गया था या 11 जनवरी, 2022 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के चरण में और उसके बाद 30 अप्रैल, 2022 से 1 मई, 2022 को आयोजित मुख्य परीक्षा के साथ, यह कहीं भी अधिसूचित नहीं किया गया था कि श्रेणी का प्रमाण पत्र 31 अगस्त, 2021 से पहले की अवधि का प्रस्तुत किया जाना है और केवल जब 4 अगस्त, 2022 को साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से योग्य उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाती है, तो प्रतिवादी एक बचाव पक्ष के साथ सामने आया कि जाति से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कट-ऑफ तिथि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी 31 अगस्त, 2021 से एक वर्ष पहले होनी चाहिए और चूंकि ओ. बी. सी.-एन. सी. एल., एम.

ई.

च

जी.

एच.

603

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [अजय रस्तोगी, जे।] ए.

क.

26. नियमों की योजना में, आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद जनवरी की पहली तारीख को आयु को देखा जाना चाहिए, यदि कोई नियम 17 के अनुसार आयु नहीं रखता है, तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, बशर्ते नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा छूट दी जाए और योजना का नियम 18 शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करता है और यह कहीं भी इंगित नहीं किया गया है कि आवेदक की शैक्षणिक योग्यता पर कब गौर किया जाना है और यहां इस न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है और कानून की व्याख्या की है।

रेखा चतुर्वेदी (श्रीमती) से इस विषय पर बनाम विश्वविद्यालय

राजस्थान और अन्य 1993 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 168 सुसंगत है और है

यदि नियम मौन हैं और कोई तिथि अधिसूचित नहीं की जा रही है जिस पर आवेदक की योग्यता/पात्रता पर विचार किया जाना है, तो आवेदन की अंतिम तिथि सबसे अच्छा पाठ्यक्रम है। न्यायिक नोट लेने के लिए, रेखा चतुर्वेदी (सुप्रा) का संदर्भ दिया जा सकता है जो आगे भूपिंदरपाल सिंह के मामले में देखा गया था और

ग

अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2000) 5 एस. सी. सी. 262, जसबीर रानी और अन्य बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य (2002) 1 एस. सी. सी. 124, शंकर के. मंडल और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2003) 9 एस. सी. सी. 519 के बाद अशोक कुमार सोनकर (सुप्रा) और राकेश कुमार शर्मा (सुप्रा) आए।

डी.

27. रेखा चतुर्वेदी (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"10. यह तर्क कि उम्मीदवारों की आवश्यक योग्यताओं की जांच चयन की तारीख के संदर्भ में की जानी चाहिए, न कि आवेदन करने की अंतिम तिथि के संदर्भ में, केवल अस्वीकार किए जाने के लिए कहा जाना चाहिए। चयन की तारीख हमेशा अनिश्चित होती है। ऐसी तिथि की जानकारी के अभाव में पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह बताने में असमर्थ होंगे कि वे विचाराधीन पदों के लिए योग्य हैं या नहीं, यदि उन्होंने अभी तक योग्यता प्राप्त नहीं की है। जब तक विज्ञापन में एक निश्चित तिथि का उल्लेख नहीं किया जाता है जिसके संदर्भ में योग्यताओं का निर्णय किया जाना है, चाहे वह तिथि चयन की हो या अन्यथा, उन उम्मीदवारों के लिए आवेदन करना भी संभव नहीं होगा जिनके पास प्रेजेंट में आवश्यक योग्यता नहीं है। तिथि की अनिश्चितता भी एक विपरीत परिणाम का कारण बन सकती है, अर्थात्, यहां तक कि वे उम्मीदवार जिनके पास प्रेजेंट में योग्यता नहीं है और भविष्य की अनिश्चित तिथि पर उन्हें प्राप्त करने की संभावना है, वे पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिससे आवेदनों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन एक और भी बुरा परिणाम हो सकता है, जिसमें यह कदाचार के लिए एक गुंजाइश छोड़ सकता है।

ई.

च

जी.

एच.

604

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

चयन की तारीख इतनी निश्चित या हेरफेर की जा सकती है कि कुछ आवेदकों का मनोरंजन किया जा सके और दूसरों को मनमाने ढंग से अस्वीकार कर दिया जा सके। इसलिए, आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन/अधिसूचना में इंगित एक निश्चित तिथि के अभाव में, जिसके संदर्भ में आवश्यक योग्यताओं का आकलन किया जाना चाहिए, योग्यताओं की जांच के लिए केवल एक निश्चित तिथि आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। इसलिए, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि जब वर्तमान मामले में चयन समिति, जैसा कि श्री मनोज स्वरूप ने तर्क दिया है, ने आवेदनों को प्राथमिकता देने की अंतिम तिथि के बजाय चयन की तारीख को आवश्यक योग्यताओं को ध्यान में रखा, तो उसने पेटेंट अवैधता के साथ काम किया, और इस

आधार पर ही विचाराधीन चयन रद्द किए जाने योग्य हैं। इस संबंध में इस न्यायालय के हाल के दो फैसलों का भी उल्लेख किया जा सकता है।

ग

ए. पी. लोक सेवा आयोग, हैदराबाद बनाम बी शरत

चंद्रा [(1990) 2 एस. सी. सी. 669:1990 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 377:(1990) 4 एसएलआर 235:(1990) 13 ए. टी. सी. 708] और जिला कलेक्टर और

अध्यक्ष, विजयनगरम समाज कल्याण आवासीय विद्यालय सोसायटी, विजयनगरम बनाम एम. त्रिपुरा सुंदरी देवी [(1990) 3 डी.

एससीसी 655:1990 एससीसी (एल एंड एस) 520:(1990) 4 एसएलआर 237:(1990) 14 एटीसी 766]।"

(जोर दिया गया) 28. बाद में अशोक कुमार सोनकर (सुप्रा) के मामले में इसका पालन किया गया, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

"17. भूपिंदरपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2000) 5 एस. सी. सी.

262 :2000 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 639] इस न्यायालय ने साक्षात्कार की तारीख के संदर्भ में पात्रता निर्धारित करने के लिए पंजाब राज्य में प्रचलित प्रथा को अस्वीकार करते हुए कहा:(एस. सी. सी. पीपी. 267-68, पैरा 13)

च

"13. अशोक कुमार शर्मा बनाम चंदर शेखर [(1997) 4 एस. सी. सी. 18 में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करना:1997

एससीसी (एल एंड एस) 913], ए. पी. लोक सेवा आयोग बनाम बी. शरत

चंद्रा [(1990) 2 एस. सी. सी. 669:1990 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 377:(1990)

जी.

13 ए. टी. सी. 708], जिलाकलेक्टर और अध्यक्ष, विजयनगरम समाज कल्याण आवासीय विद्यालय सोसायटी बनाम एम. त्रिपुरा

सुंदरी देवी [(1990) 3 एस. सी. सी. 655:1990 एससीसी (एल एंड एस) 520:(1990) 14 ए. टी. सी. 766], रेखा चतुर्वेदी बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय [1993 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 168:1993 एससीसी (एल एंड एस) 951:

एच.

605

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [अजय रस्तोगी, जे।] ए.

क.

(1993) 25 ए. टी. सी. 234], एम. वी. नायर (डॉ.) बनाम भारत संघ [(1993) 2 एस. सी. सी. 429:1993 एससीसी (एल एंड एस) 512:(1993) 24 एटीसी 236]

और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम अल्पना [(1994) 2

एससीसी 723:1994 एससीसी (एल एंड एस) 742:(1994) 27 ए. टी. सी. 101] उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि (i) सार्वजनिक रोजगार की मांग करने वाले उम्मीदवार द्वारा पात्रता की आवश्यकता को पूरा करने के संदर्भ में कट-ऑफ तिथि संबंधित सेवा नियमों द्वारा निर्धारित तिथि है और यदि नियमों द्वारा कोई कट-ऑफ तिथि निर्धारित नहीं की गई है तो ऐसी तिथि जो आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त की जा सकती है; (ii) यदि ऐसी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है तो पात्रता मानदंड उस अंतिम तिथि के संदर्भ में लागू किए जाएंगे जिसके द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त किए जाने हैं। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा समर्थित है और इसलिए अच्छी तरह से तय किया गया है और इसलिए इसमें दोष नहीं पाया जा सकता है। हालाँकि, इस मामले की कुछ विशेष विशेषताएँ हैं जिनका ध्यान रखने की आवश्यकता है और इस न्यायालय में निहित संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके न्याय किया जाना चाहिए ताकि न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके।"

ग

डी.

29. उपरोक्त निर्णय से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि -- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

(i) वह कट-ऑफ तिथि जिसके संदर्भ में सार्वजनिक रोजगार की मांग करने वाले आवेदक द्वारा पात्रता आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए, वह तिथि है जो संबंधित सेवा नियमों में अधिसूचित की गई है।

((ii) यदि नियमों के तहत कोई निर्धारित तिथि निर्दिष्ट नहीं की गई है, तो ऐसी तिथि आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित की जाएगी।

च

((iii) यदि ऐसी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है तो पात्रता मानदंड उस अंतिम तिथि के संदर्भ में लागू किया जाएगा जिसके द्वारा भर्ती प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त किए जाने थे। 30. इन सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा तय किया गया है और आगे की चर्चा के लिए कोई आधार नहीं है कि जब नियम शांत हैं और विज्ञापन के तहत पात्रता आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई तारीख अधिसूचित नहीं की गई है, तो पात्रता मानदंड आवेदन की अंतिम तिथि के संदर्भ में लागू किए जाएंगे जिसके द्वारा भर्ती प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त किए जाने हैं।

जी.

एच.

606

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

31. आइए हम नियमों की योजना, 2010 की दूसरे तरीके से और विशेष रूप से भाग IV की जांच करें, जो सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में भर्ती की विधि प्रदान करता है, नियम 19 में कहा गया है कि उम्मीदवार को सीधी भर्ती के लिए भाग लेते समय एक चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा जो उसे सेवा में रोजगार के लिए योग्य बना सकता है, आवेदन की तारीख से छह महीने से अधिक पहले नहीं होना चाहिए जिसे उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदन पत्र भरते समय संलग्न करना होगा और यदि हम वनों के रूप में सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हैं, तो सवाल यह उठता है कि यदि उम्मीदवार ने नियम 19 के संदर्भ में आवेदन पत्र के साथ चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद चयन प्रक्रिया में भाग लिया है, अगर चयन प्रक्रिया के बाद के चरण में वह वास्तव में नैतिक अधमता के किसी भी कार्य में शामिल है।

ग

डी.

ई.

च

32. यह सच है कि सामान्य नियम यह है कि भर्ती प्रक्रिया में भाग लेते समय, व्यक्ति के पास ऐसे उद्देश्य के लिए निर्धारित अंतिम तिथि पर पात्रता योग्यता होनी चाहिए, जब तक कि इसके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान न हो और निर्धारित तिथि तक आवश्यक पात्रता योग्यता रखने के मामले में कोई छूट नहीं दी जा सकती है और इसे आवश्यक प्रमाण पत्र या डिग्री प्रस्तुत करके स्थापित किया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो। लेकिन, साथ ही, आरक्षण या वेटेज का लाभ उठाने के लिए, आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं, लेकिन वे आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए पात्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रमाण की प्रकृति में होते हैं, लेकिन इसका ए की अंतिम तिथि के साथ कोई संबंध नहीं है।

जी.

एच.

607

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [अजय रस्तोगी, जे।] ए.

और, इसके विपरीत किसी भी नियम के अभाव में किसी भी कठोर सिद्धांत को लागू करना उचित नहीं हो सकता है। सावधानी के रूप में, आरक्षण का लाभ उठाने में सबूत जमा करने से संबंधित नियम के प्रत्येक उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। 33. इसी तरह की परिस्थितियों में, रिक्तियां विभिन्न श्रेणियों यानी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/एम. बी. सी./विकलांग व्यक्तियों और महिला उम्मीदवारों के लिए नियम, 2010 की योजना के तहत आरक्षित हैं और जिन्हें 22 जुलाई, 2021 के विज्ञापन के खंड 4 के तहत श्रेणी-वार अधिसूचित किया गया है, जिसके साथ हम संबंधित हैं, और यह कहने की जरूरत नहीं है कि उम्मीदवार को उस समय आरक्षित श्रेणी का सदस्य होना चाहिए जब आवेदन पत्र प्रश्रुत विज्ञापन के अनुसार भरा जाता है, लेकिन साथ ही साथ जहां तक नियम, 2010 के नियम 20 में प्रदान की गई परीक्षा और पाठ्यक्रम की योजना का संबंध है, भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित सिविल न्यायाधीश के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी और प्रत्येक उम्मीदवार के लिए सामान्य है, चाहे वह किसी भी श्रेणी के हों।

ग

डी.

34. नियम 10 में निर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों की रिक्तियों का आरक्षण उम्मीदवार के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्रता की शर्त नहीं है क्योंकि आरक्षण का दावा करने के उद्देश्य से श्रेणी का प्रमाण पत्र उस स्तर पर नहीं उत्पन्न होगा जब आवेदन पत्र भरा जाता है और व्यक्तिगत उम्मीदवार द्वारा चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्व-घोषणा की जाती है, बल्कि उस स्तर पर जब चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार की जानी है क्योंकि अंतिम चयन सूची को श्रेणी-वार प्रकाशित किया जाना है और उन उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया जाना है जिन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लिया है और बिना किसी अन्य उद्देश्य के और जब प्रतिवादी ने आवेदक से उस श्रेणी का अपना संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की मांग की है जिसके लिए 4 अगस्त की अधिसूचना के तहत चयन प्रक्रिया में भाग लिया था।

ई.

च

जी.

एच.

608 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

35. डॉली छांडा बनाम अध्यक्ष, जी और अन्य मामले में यह अदालत

(2005) 9 एस. सी. सी. 779 ने उस स्थिति पर विचार किया है जहां पदधारी आरक्षण का लाभ लेने के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा है और योजना की जांच करने के बाद, इस न्यायालय ने दी गई परिस्थितियों में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

“7. सामान्य नियम यह है कि अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम या पद के लिए आवेदन करते समय, किसी व्यक्ति के पास प्रवेश विवरणिका में या आवेदन पत्र में, जैसा भी मामला हो, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अंतिम तिथि पर पात्रता योग्यता होनी चाहिए, जब तक कि इसके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान न हो। इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जा सकती है, अर्थात् निर्धारित तिथि तक अपेक्षित पात्रता रखने के मामले में। इसे आवश्यक प्रमाण पत्र, डिग्री या अंकपत्र प्रस्तुत करके स्थापित किया जाना है। इसी तरह, आरक्षण या वेटेज आदि का लाभ उठाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं। ये विशेष योग्यता या सुरक्षित अंकों के प्रतिशत या आरक्षण के लाभ के लिए पात्रता के प्रमाण की प्रकृति के दस्तावेज हैं। किसी मामले के तथ्यों के आधार पर, सबूत जमा करने के मामले में कुछ ढील दी जा सकती है और किसी भी कठोर सिद्धांत को लागू करना उचित नहीं होगा क्योंकि यह प्रक्रिया के क्षेत्र से संबंधित है। सबूत जमा करने से संबंधित नियम के प्रत्येक उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी की अस्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।”

ग

डी.

ई.

36. बाद में, राम कुमार गिजरोया बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और एक अन्य (2016) 4 एस. सी. सी. 754 मामले में, इस न्यायालय ने

इस प्रश्न की जांच की गई कि क्या कोई उम्मीदवार जो ओ. बी. सी. श्रेणी के तहत परीक्षा में उपस्थित होता है और विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तिथि के बाद प्रमाण पत्र जमा करता है, ओ. बी. सी. श्रेणी के तहत पद पर चयन के लिए पात्र है और उसने निम्नानुसार सकारात्मक उत्तर दिया:- “18. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, दिया गया निर्णय

च

पुष्प में [पुष्प बनाम सरकार। (एन. सी. टी. दिल्ली), 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन

281] इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की स्थिति के अनुरूप है, जिसे ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस संविधान पीठ द्वारा निर्धारित प्रश्न पर बाध्यकारी पूर्ववर्ती को ध्यान में रखे बिना, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को उलटने में गलती की।

जी.

इंद्र साहनी बनाम भारत संघ में न्यायालय,

1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217:1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) अनुपूरक 1:(1992) 22 ए.

एच.

609

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [अजय रस्तोगी, जे।] ए.

ए. टी. सी. 385] और वलसम्मा पॉल [वलसम्मा पॉल बनाम कोच्ची

विश्वविद्यालय, (1996) 3 एससीसी 545:1996 एससीसी (एल एंड एस) 772:(1996) 33 ए. टी. सी. 713] जिसमें इस न्यायालय ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 14,15,16 और 39-ए की व्याख्या के बाद कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य सार्वजनिक रोजगार में असमानता को दूर करना है, क्योंकि इन श्रेणियों के उम्मीदवार सदियों के उत्पीड़न और अवसर से वंचित होने के परिणामस्वरूप सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। संविधान की प्रस्तावना के साथ-साथ राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 14,15,16 और 39-ए में परिकल्पित आरक्षण की संवैधानिक अवधारणा समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देने की अवधारणा को प्राप्त करना है। इस प्रकार, खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को उलटने में गलती की। इसलिए, 2011 की लेटर पेटेंट अपील संख्या 562 में डिबीजन बेंच द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश न केवल गलत है, बल्कि कानून में भी त्रुटि से ग्रस्त है क्योंकि यह इंद्र साहनी [इंद्र साहनी बनाम भारत संघ, 1992 में इस न्यायालय के फैसलों के बाध्यकारी पूर्ववर्ती का पालन करने में विफल रहा है। 1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) अनुपूरक 1:(1992) 22 ए. टी. सी. 385] और वलसम्मा पॉल [वलसम्मा पॉल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय, (1996) 3 एस. सी. सी. 545:1996 एससीसी (एल एंड एस) 772:(1996) 33 एटीसी 713]। इसलिए, विवादित निर्णय और आदेश [दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बनाम राम कुमार गिजरोया, 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 472:(2012) 128 उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित डी. आर. जे. 124] को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए और तदनुसार दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। विद्वान एकल द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 24-11-2010

ग

डी.

ई.

च

राम कुमार गिजरोया बनाम सरकार में न्यायाधीश। (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [राम कुमार गिजरोया बनाम सरकार। (एन. सी. टी. दिल्ली), डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 382

2009, दिनांकित 24-11-2010 (डेल)] आदेश एतद्द्वारा बहाल किया जाता है।"

37. यह निर्णय बाद में दो के समक्ष विचार के लिए आया -

कर्ण सिंह यादव बनाम मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ। एन. सी. टी. सरकार

जी.

दिल्ली और अन्य (एसएलपी (सी) **No.14948/2016**) और अदालत के पास कुछ हैं

राम कुमार गिजरोया (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए कि राम कुमार गिजरोया (सुप्रा) ने 28 सितंबर, 2022 के अपने आदेश के तहत अपील का निपटारा किया, ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए संदर्भ पर किसी का ध्यान नहीं गया।

एच.

610

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

जो भी हो, आज की स्थिति यह है कि इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 28 सितंबर, 2022 के अपने आदेश के तहत राम कुमार मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार की पुष्टि की है

गिजरोया (सुप्रा)।

38. इसके अलावा, नियमों की योजना, 2010 को ध्यान में रखते हुए, जो निर्विवाद रूप से विषय के मुद्दे पर मौन है और 22 जुलाई, 2021 के विज्ञापन से कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता है कि तत्काल मामले में आवेदन की अंतिम तिथि (31 अगस्त, 2021) से पहले की अवधि का जाति प्रमाण पत्र/श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। इसके विपरीत, विज्ञापन के खंड 22 (3) के साथ पठित खंड 6 (i) और (iii), श्रेणी का ऐसा प्रमाण पत्र जिसे किसी ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए दावा किया है, भर्ती प्राधिकरण द्वारा मांग पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ग

39. दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, जब नियम मौन होते हैं और ऐसा कोई निर्देश नहीं होता है कि विज्ञापन के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले की अवधि का श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए और प्रत्येक आवेदक ने 4 अगस्त, 2022 को साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से बुलाए गए उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होने पर भर्ती प्राधिकरण द्वारा मांगी गई श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, तो प्रत्येक आवेदक ने निर्विवाद रूप से उस श्रेणी का अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिससे वे विज्ञापन के समय संबंधित थे और चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। इस स्तर पर, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय गलत हो गया था और आवेदन की अंतिम तिथि पर जांच की जाने वाली पात्रता की शर्त से प्रभावित था, जबकि उस श्रेणी के प्रमाण पत्र के उत्पादन की जांच करते हुए जिसमें उम्मीदवार शामिल था और चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, किसी भी तरह से पात्रता की शर्तों के साथ सह-संबंधित नहीं है और जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है कि वे गैर-उपयुक्त हैं, अपीलकर्ताओं के दावे का तत्काल मामले के तथ्यों में कोई आवेदन नहीं है। 40. गतिशीलता को समझने के लिए, सरकार पहले 9 सितंबर, 2015 के परिपत्रों के साथ आई है, जिसके बाद 08 अक्टूबर, 2019 का संदर्भ दिया गया है, लेकिन यह हमेशा चयन की प्रक्रिया के अनुरूप होता है जब भर्ती अधिकारियों द्वारा खुले चयन के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है और भर्ती प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रत्येक विज्ञापन में, आवेदन की अंतिम तिथि अलग-अलग होती है और यह प्रमाण पत्र की पूरी गतिशीलता को बदल सकती है जो आवेदक के पास है और उसे प्रत्येक ए के अनुरूप श्रेणी का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

611

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [अजय रस्तोगी, जे।] ए.

विज्ञापन और यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो रहा है और यही कारण प्रतीत होता है कि ऐसी कोई योजना या निर्देश नहीं थे जो विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण का लाभ उठाने और चल रहे मुकदमेबाजी को दूर करने के इरादे से चयन प्रक्रिया में भाग लेते समय आवेदक को किस प्रक्रिया का पालन करना है, इसे विनियमित और सुव्यवस्थित कर सके, राज्य सरकार ने कदम उठाया है और 17 अक्टूबर, 2022 के अपने निर्देशों के तहत स्पष्ट किया है, जो दर्शाता है कि यदि आवेदक आवेदन की अंतिम तिथि पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने या आवेदन की अंतिम तिथि के बाद की तारीख को प्रस्तुत करने में विफल रहा है, तो उसे एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि यदि यह गलत या गलत पाया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। हमारे विचार से, यह सरकार द्वारा वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक तदर्थ स्थिति हो सकती है, लेकिन भर्ती प्राधिकरण या सरकार,

जैसा भी मामला हो, को इस मुद्दे की समग्रता से जांच करनी होगी और उन शिकायतों को ध्यान में रखना होगा जो न्यायालय द्वारा विभिन्न चरणों में उठाई जा रही हैं और जिन पर विचार किया जा रहा है और व्यापक प्रसार के साथ स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने होंगे, जिनका उम्मीदवारों को पालन करना होगा जो मुकदमेबाजी से बचने/उससे उबरने के लिए आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं।

ग

डी.

41. संक्षेप में, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा गया है, 120 चयनित उम्मीदवारों की अंतिम योग्यता सूची को उत्तरदाताओं द्वारा अधिसूचित किया गया था जैसा कि 30 अगस्त, 2022 के नोटिस में संकेत दिया गया था और नियम योजना, 2010 के तहत कोई प्रतीक्षा सूची/आरक्षित सूची होने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, 120 उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची में शामिल न होने या उम्मीदवारों के किसी अन्य कारण से समाप्त होने के बाद आगे कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती।

ई.

42. इस न्यायालय को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति के लिए जिन 120 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी, उनमें से 119 उम्मीदवारों को 09 मार्च, 2023 को नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे और पांच उम्मीदवार शामिल नहीं हुए हैं और एम. बी. सी. (एन. सी. एल.) श्रेणी के अलावा, पांच रिक्तियां आरक्षित थीं और केवल दो उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती है और तीन रिक्तियां खुली श्रेणी द्वारा भरी जाती हैं। इस तथ्य की समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि जो उम्मीदवार वर्तमान अपीलकर्ताओं की तुलना में योग्यता के क्रम में कम हो सकते हैं, वे शामिल हुए हैं और प्रशिक्षण के लिए भेजे गए हैं, लेकिन उनकी कभी गलती नहीं थी, साथ ही, वर्तमान अपीलकर्ताओं को अंततः चुने जाने के बाद नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की आवश्यकता है और निर्विवाद रूप से उन्होंने अपनी संबंधित श्रेणी में कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और इस तथ्य पर उत्तरदाताओं द्वारा विवाद नहीं किया गया है

च

जी.

एच.

612

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

साथ ही, कुछ आवेदकों को उपलब्ध विज्ञापित रिक्तियों के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है और भर्ती प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए उम्मीदवारों के अधिकारों को बाधित किए बिना या खोए बिना, विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हमारी शक्ति का प्रयोग करते हुए, पक्षों के साथ पूर्ण न्याय करने के लिए, उत्तरदाताओं को नियुक्ति के लिए प्रत्येक अपीलकर्ता पर विचार करने का निर्देश देना उचित हो सकता है, जिन्हें भविष्य की रिक्तियों के खिलाफ सिविल न्यायाधीश की विज्ञापित रिक्तियों के खिलाफ समायोजित नहीं किया जा सका था, बशर्ते कि नियम योजना, 2010 के तहत उनकी उपयुक्तता हो।

43. अपील सफल होती है और तदनुसार अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है और प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे 22 जुलाई, 2021 के विज्ञापन के अनुसार आयोजित चयन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी पर सिविल न्यायाधीश के पद पर वरिष्ठता सहित परिणामी लाभों के साथ नियुक्ति के लिए प्रत्येक अपीलार्थी की उम्मीदवारी पर विचार करें। आदेश दो महीने के भीतर उनकी उपयुक्तता के अधीन पारित किया जा सकता है। खर्च की बाबत कोई आदेश नहीं।

ग

डी.

44. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

बेला एम. त्रिवेदी, न्या.

ई.

1. मुझे अपने सम्मानित भाई न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी द्वारा व्यक्त की गई राय को पढ़ने का अवसर मिला है, हालांकि मैं उक्त राय में व्यक्त किए गए विचारों से सहमत होने में असमर्थता व्यक्त करता हूँ, और अपनी राय को नीचे लिखा है:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

2. छुट्टी दे दी गई।

3. इन सभी अपीलों में शामिल तथ्यों और कानूनी मुद्दों की प्रासंगिक झलक को ध्यान में रखते हुए सामान्य निर्णय लिया जा रहा है। सभी अपीलों में अपीलकर्ताओं ने राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों को चुनौती दी है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उनके द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं में, प्राथमिक चुनौती मुख्य ए में सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता वाले 04.08.2022 पर नोटिस जारी करने में प्रतिवादी-उच्च न्यायालय की कार्रवाई के लिए थी।

जी.

एच.

613

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

सिविल न्यायाधीशों के पद के लिए परीक्षा, अन्य पिछड़ा वर्ग/अधिक पिछड़ा वर्ग-गैर-मलाईदार परत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि श्रेणियों से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर जारी किया जाता है, अर्थात् उक्त तिथि के बाद नहीं। अपीलार्थियों ने संबंधित आरक्षित श्रेणी में अपनी स्थिति दिखाने वाले प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, जो उक्त तिथि 31.08.2021 के बाद जारी किए गए थे, उन्हें प्रतिवादी-उच्च न्यायालय द्वारा उक्त पद के लिए पात्र नहीं पाया गया।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

4. अपीलों के वर्तमान बैच के रिकॉर्ड से जो संक्षिप्त तथ्य सामने आते हैं, वे यह हैं कि प्रत्यर्थी-उच्च न्यायालय ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (इसके बाद नियम, 2010 के रूप में संदर्भित) के अनुसार वर्ष 2021 में रिक्तियों के खिलाफ सिविल न्यायाधीशों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए 22.07.2021 पर एक विज्ञापन जारी किया। उक्त विज्ञापन का प्रासंगिक भाग यहाँ प्रस्तुत किया गया है ताकि इसमें शामिल मुद्दों की बेहतर समझ हो सके:

ग

डी.

“राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/परीक्षा प्रकोष्ठ/आर. जे. एस./सिविल जज संवर्ग/2021/780 दिनांक 22.07.2021।

ई.

सिविल जज संवर्ग, **2021** में सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा।

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (संशोधित) के तहत सिविल न्यायाधीश संवर्ग में ग्रेड वेतन 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में परीक्षा पर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट के कुल 120 रिक्त पदों (वर्ष 2020 के 89 पद और वर्ष 2021 के 31 पद) पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

च

2 3 तक।

जी.

4. रिक्त पदों की संख्या और आरक्षण।

एच.

614 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

ग

डी.

*बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित 05 पदों में से, 1 (एक) पद अंधेपन और कम दृष्टि के लिए, 1 (एक) बधिर और सुनने में कठिनाई के लिए, 1 (एक) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर विकलांगता के लिए और 2 (दो) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी के लिए आरक्षित है।

ई.

च

टिप्पणी-उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या नियमों के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है जिसके लिए कोई पुनः विज्ञापन या शुद्धिपत्र प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

5. विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण के संबंध में -

जी.

आई. महिलाओं (विधवा और तलाकशुदा महिलाओं सहित) के लिए आरक्षित पदों के लिए आरक्षण को श्रेणीवार रिक्त पदों के खिलाफ श्रेणी माना जाएगा, जिसका अर्थ है कि किस श्रेणी की महिलाएं (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अधिक पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से

एच.

615

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

कमजोर वर्ग/सामान्य श्रेणी) का चयन किया जाएगा, ऐसी महिला उम्मीदवार को संबंधित श्रेणी के खिलाफ समायोजित किया जाएगा जिसमें वह एक आवेदक है।

ii. विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के लिए आरक्षण को कुल रिक्त पदों के विरुद्ध श्रेणी माना जाएगा जिसका अर्थ है कि किस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अधिक पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य श्रेणी) के विकलांग व्यक्तियों का चयन किया जाएगा, ऐसे उम्मीदवारों को संबंधित श्रेणी के खिलाफ समायोजित किया जाएगा जिसमें वे आवेदक हैं। iii. राजस्थान के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/सबसे पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/महिलाओं (विधवा और तलाकशुदा महिलाओं सहित)/विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के लिए योग्य और उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में, इन पदों को राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया और तरीके से भरा जाएगा।

ग

डी.

iv. सामान्य श्रेणी के पदों के लिए चयन के लिए, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।

ई.

नोट-राजस्थान के अन्य पिछड़े वर्ग और अधिक पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर श्रेणी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर और गैर-क्रीमी लेयर)/अधिक पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर और गैर-क्रीमी लेयर)/अन्य राज्यों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवेदकों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में माना जाएगा।

च

6. विभिन्न श्रेणियों के प्रमाणपत्रों के संबंध में -

आई. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और अधिक पिछड़े वर्ग के रूप में आरक्षण के लिए, निर्धारित प्रारूप में नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जी.

ii. विकलांग श्रेणी के भीतर आने वाले आवेदकों के लिए, ऐसे उम्मीदवारों को अधिकृत द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी विकलांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

एच.

616

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांग किए जाने पर उपयुक्त सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकरण। इस संबंध में लागू मौजूदा नियमों के अनुसार, केवल विकलांग प्रमाणपत्र धारक उम्मीदवारों को विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर चयन और नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा।

iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के मामले में, ऐसे उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकरण के नियमों के अनुसार विधिवत जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

iv. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, ऐसी महिला उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जारी पिता के नाम और पते के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, पते और आय के आधार पर प्रमाण पत्र लागू नहीं होगा। 5. अन्य पिछड़े वर्गों और अधिक पिछड़े वर्गों की विवाहित महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, ऐसी महिला उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जारी किए गए पिता के नाम और पते के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, पते और आय के आधार पर प्रमाण पत्र लागू नहीं होगा।

ग

डी.

ई.

vi.) विधवा महिला उम्मीदवार के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और तलाकशुदा महिला उम्मीदवार के मामले में, उसे तलाक का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

च

7 9 तक।.....10. आयु:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

एक उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2022 को 21 वर्ष की होनी चाहिए, लेकिन 40 वर्ष की आयु नहीं होनी चाहिए।

जी.

बशर्ते कि -

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग/अधिक ए से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी।

एच.

617

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

पिछड़े वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और महिला उम्मीदवार।

11 16 तक।.....

17. आवेदन करने की समय सीमा:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

18. आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

1. कोई भी आवेदक जो किस श्रेणी के तहत आवेदन करने के योग्य है, उसे उसी श्रेणी में आवेदन करना चाहिए।श्रेणी में भरा गया

आवेदक के अनुरोध पर आवेदन किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा।

2. ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है और ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक सभी जानकारी संबंधित कॉलम में सही और पूरी तरह से भरी गई है।ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी को सही माना जाएगा और परीक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा।इसलिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

डी.

ई.

3. केवल ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक भरे गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।यदि सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण और सही नहीं हैं, तो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

च

4. ऑनलाइन आवेदन में अंत में दर्ज किए जाने के बाद प्रविष्टियों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है और न ही इस संबंध में कोई आवेदन विचार के लिए स्वीकार किया जाएगा।

जी.

19 21 तक।.....

22. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

1....2....

एच.

618

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

3. उम्मीदवारों को सभी प्रासंगिक मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, जिनके आधार पर वे राजस्थान उच्च न्यायालय या संबंधित नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा आवश्यक होने पर कोई दावा करते हैं।

4 8 तक।

9. केवल ऐसे आवेदक, जिन्होंने अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करके परीक्षा शुल्क सफलतापूर्वक जमा किया है, उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा में उपस्थित होने के लिए केवल एक आवेदक को प्रवेश पत्र जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अंततः स्वीकार कर लिया गया है या आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई प्रविष्टियों को सही और सही माना गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मूल दस्तावेजों से आवेदक की पात्रता की जांच करते समय और नियम के अनुसार, यदि आयु, शैक्षिक योग्यता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई. डब्ल्यू. एस./पी. एच./महिला/विधवा/परित्यक्त (तलाकशुदा) आदि के आधार पर पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा न करने के आधार पर उसकी अयोग्यता का पता चलता है, तो इस परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।"

ग

डी.

ई.

5. ओ. बी. सी./एम. बी. सी.-एन. सी. एल./ई. डब्ल्यू. एस. के सदस्य होने का दावा करने वाले सभी अपीलार्थी प्रत्यर्थी द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षाओं में उपस्थित हुए और सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए अस्थायी रूप से योग्य होने के कारण, प्रतिवादी द्वारा 20.08.2022 से 27.08.2022 के बीच साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था, दिनांकित 04.08.2022 नोटिस के माध्यम से। उक्त सूचना में यह निर्देश दिया गया था कि उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय सत्यापित/प्रमाणित फोटोकॉपी के साथ सभी मूल दस्तावेज लाने होंगे। उक्त सूचना में निहित सटीक निर्देश निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

च

"उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए अपने मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के साथ राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर, झालामंद सर्कल के पास, ओल्ड पाल रोड, जोधपुर (राजस्थान) में पंजीयक (परीक्षा) के अस्थायी कार्यालय में उपरोक्त तिथि और रिपोर्टिंग समय पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित रहना आवश्यक है। उम्मीदवारों को निम्नलिखित सभी ए लाने का निर्देश दिया जाता है

जी.

एच.

619

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

प्रत्येक दस्तावेज की दो सत्यापित/प्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ मूल दस्तावेज:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

आई.

ii.

iii. श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(क) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष पहले जारी नहीं किया गया ओ. बी. सी./एम. बी. सी. (गैर क्रीमी परत) प्रमाण पत्र अर्थात् 31.08.2021।

(ख) यदि ओ. बी. सी./एम. बी. सी. (गैर क्रीमी परत) प्रमाण पत्र 31.08.2018 और 30.08.2020 के बीच जारी किया जाता है, तो जाति प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ग

(ग) ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के मामले में-ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी में आरक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र 01.04.2021 से पहले जारी नहीं किया जाना चाहिए। यदि आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र 01.04.2019 और 31.03.2021 के बीच जारी किया जाता है, तो प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (घ) एससी/एसटी/ओ. बी. सी./एम. बी. सी./ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यानी 31.08.2021 के बाद जारी नहीं किया गया होना चाहिए।"

डी.

ई.

6. अपीलार्थी ज्योति बेनीवाल (एस. एल. पी. (सी) सं. 5654/2023), जिन्होंने सिविल न्यायाधीश के उक्त पद के लिए ओ. बी. सी.-एन. सी. एल. श्रेणी के तहत आवेदन किया था, ने 2022 की रिट याचिका सं. 11784 दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिनांकित 04.08.2022 में लगाई गई शर्तों को चुनौती दी गई है, जिसमें उम्मीदवारों को 31.08.2018 से 31.08.2021 के बीच जारी किए गए ओ. बी. सी.-एन. सी. एल. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, और यह घोषणा की गई है कि 31.08.2021 के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त याचिका को 18.08.2022 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया, जो इस न्यायालय के समक्ष विवादित है।

च

जी.

7. अपीलार्थी कुलदिप भाटिया (2022 का एसएलपी (सी) सं. 21644) ने भी सं. होने के कारण रिट याचिका दायर की। 2022 का 12022 उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष पहले की अवधि के ओ. बी. सी. (एन. सी. एल.) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता को निर्धारित करने वाले दिनांक 04.08.2022 के उक्त नोटिस को चुनौती देता है। उक्त याचिका को भी उच्च न्यायालय ने आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया

एच.

620

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

दिनांकित 06.09.2022, जो अपीलार्थी के इस समूह में हमारे सामने भी आक्षेपित है। अन्य अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर इसी तरह की रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय ने ज्योति बेनीवाल और कुलदिप भाटिया के मामले में निर्णयों पर भरोसा करते हुए अलग-अलग आदेश पारित करके खारिज कर दिया। 8. बेहतर समझ और सुविधा के लिए, प्रत्येक अपीलार्थी के मामले में तथ्यों को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक बयान यहां प्रस्तुत किया गया है:

I. OBC-NCL श्रेणी SLP 5654/2023, SLP 16428/2022, SLP 18296-18299/22

ग

डी.

ई.

च

जी.

II. एमबीसी-एनसीएल श्रेणी-सुनील गुर्जर एसएलपी (सी) नहीं। 19179/22 और कुलदिप भाटिया एसएलपी (सी) नं। 21644/22 A

एच.

621

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

III. ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी-2023 का पारुल जैन एस. एल. पी. (सी) संख्या 9544

ग

डी.

9. यह ध्यान रखना उचित है कि दिनांक 22.07.2021 के विज्ञापन में उल्लिखित महत्वपूर्ण निर्देशों के साथ पठित खंड-6 के अनुसार, विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कानूनी रूप से वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते थे। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता रहता है। संबंधित समय में प्रचलित परिपत्र 09.09.2015 और 08.08.2019 दिनांकित परिपत्र थे। जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में दिनांकित 09.09.2015 परिपत्र का प्रासंगिक पैराग्राफ 4 निम्नानुसार है:

ई.

च

“4. जाति प्रमाणपत्र की वैधता अवधि:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -
जी.

1. एससी/एसटी के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की वैधता आजीवन होगी, जबकि ओ. बी. सी. के लिए प्रमाण पत्र केवल एक बार जारी किया जाएगा, लेकिन इस तथ्य को कि व्यक्ति क्रीमी लेयर में नहीं है, तीन साल तक के वैध हलफनामे के आधार पर मान्यता दी जाएगी।

एच.

622

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

2. गैर-मलाईदार परत का प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए वैध होगा। एक बार गैर-क्रीमी परत का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के बाद, यदि आवेदक अगले वर्ष भी क्रीमी परत में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उससे एक शपथ पत्र (परिशिष्ट-डी) प्राप्त किया जाएगा, जहां पहले जारी गैर-क्रीमी परत प्रमाण पत्र को वैध माना जाएगा, यह अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए किया जा सकता है।”

10. परिपत्र दिनांक 08.08.2019 का प्रासंगिक भाग, जिसमें परिपत्र दिनांक 09.09.2015 में निहित उपरोक्त निर्देश को स्पष्ट किया गया है, निम्नानुसार है:

“राजस्थान सरकार

ग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नं. एफ-11/एस. सी. एस. टी. ओ. बी. सी./एस. बी. सी

तारीख: 08.08.2019

...इसलिए, इस संबंध में एक बार फिर यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य पिछड़े वर्गों का जाति प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए वैध होगा, हालांकि, ऐसी स्थिति में जहां आवेदक को क्रीमी लेयर श्रेणी में नहीं आने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया है और यदि ऐसा आवेदक बाद के वर्ष में भी क्रीमी लेयर के भीतर नहीं आता है, तो उस स्थिति में, गैर-क्रीमी लेयर के भीतर आने का पूर्व में

जारी प्रमाण पत्र आवेदक से सत्यापित हलफनामा प्राप्त करने के बाद वैध माना जाएगा, जो अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए किया जा सकता है।"

डी.

ई.

11. उपरोक्त परिपत्रों का सार यह था कि किसी व्यक्ति को जारी किया गया ओ. बी. सी.-एन. सी. एल. का प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए वैध होगा, हालांकि बाद के वर्ष में भी यदि वह "गैर-क्रीमी परत" श्रेणी में बना रहता है, तो पहले जारी किए गए प्रमाण पत्र को ऐसे व्यक्ति से सत्यापित हलफनामा प्राप्त करने के बाद वैध माना जाएगा, और ऐसी प्रक्रिया का पालन अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए किया जा सकता है।

च

प्रस्तुतियाँ:

12. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

जी.

(i) आवेदनकर्ताओं ने प्रपत्र के साथ-साथ सार में सभी आवश्यकताओं का पालन किया है और सिविल न्यायाधीश के पद के लिए गलत तरीके से विचार नहीं किया गया है और संबंधित श्रेणियों में कम मेधावी उम्मीदवारों को उक्त पद के लिए चुना गया है।

एच.

623

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

क.

(ii) आरक्षित श्रेणियों के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा भर्ती विज्ञापन में या 2010 के उक्त नियमों में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की तारीख के संबंध में किसी भी विनिर्देशन के अभाव में, अधिसूचना में निहित प्रिस्क्रिप्शन जिसमें उम्मीदवारों को उसके खंड 3 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, भर्ती प्रक्रिया के बीच खेल के नियमों को बदलने के समान है, जो कानून की नजर में अनुमेय नहीं है।

(iii) याचिकाकर्ताओं के चयन की संभावनाओं को सीमित करने वाली दिनांकित सूचना में उत्तरदाताओं द्वारा पेश की गई विवादित शर्तें पूरी तरह से अनुचित और मनमाना थीं।

ग

(iv) आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, अपीलकर्ताओं को प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, हालांकि आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए पात्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रमाण पत्र की तारीख के संबंध में किसी भी कठोर सिद्धांत का आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के साथ कोई संबंध नहीं था।

डी.

(v) डॉली छांडा बनाम अध्यक्ष, जे. ई. ई. और अन्य मामलों में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। 1, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने के मामले में कुछ छूट दी जा सकती है और किसी भी कठोर सिद्धांत को लागू करना उचित नहीं होगा। सबूत जमा करने से संबंधित नियम के प्रत्येक उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी की अस्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

ई.

च

(vi) रिलायंस को राम कुमार गिजरोया के मामले में रखा गया है।

बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और एन. आर. 2,

यह प्रस्तुत करना कि विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तिथि के बाद प्रमाण पत्र जमा करना आरक्षित श्रेणी के तहत उम्मीदवार के चयन के लिए मान्य था। अपीलार्थियों के अनुसार, कर्ण सिंह यादव बनाम के मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उक्त विचार की पुष्टि की थी।

जी.

दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार और अन्य। 3 (एसएलपी (सी) 14,948 /

2016) .

1 (2005) 9 एससीसी 779 2 (2016) 4 एससीसी 754

एच.

3 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1341

624

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

(vii) अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ और अन्य के निर्णय में अंतर करना। 4, प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किए जाने पर, यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त निर्णय में निर्धारित अनुपात की वर्तमान अपीलों के तथ्यों के साथ उतनी प्रासंगिकता नहीं थी जितनी कि उक्त मामला चयन के समय उम्मीदवारों की योग्यता से संबंधित था, जबकि तत्काल अपीलों में मुद्दा प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख के संबंध में है जो केवल प्रक्रियात्मक मामला है।

13. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

(i) अपीलार्थी वैध प्रमाणपत्रों को पुनः प्रस्तुत करने में विफल रहे थे जैसा कि विज्ञापन दिनांक 22.07.2021 और नोटिस दिनांक 04.08.2022 में उल्लिखित है।

ग

(ii) राज्य सरकार ने दिनांक 2 और 1 का परिपत्र जारी किया था जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ओ. बी. सी. प्रमाण पत्र केवल एक बार जारी किया जाएगा, और गैर-क्रीमी परत के बारे में प्रमाण पत्र भी केवल एक वर्ष के लिए मान्य होगा, हालांकि, यदि आवेदक बाद के वर्ष में "गैर-क्रीमी परत" के पद पर बना रहता है, तो पिछले वर्ष जारी किए गए प्रमाण पत्र को उम्मीदवार के शपथ पत्र के साथ वैध माना जाएगा। तत्काल अपीलों में ओ. बी. सी.-एन. सी. एल. से संबंधित होने का दावा करने वाले अपीलकर्ताओं ने आवश्यक वैध प्रमाण पत्र और न ही उस संबंध में हलफनामा प्रस्तुत किया था।

डी.

ई.

(iii) जैसा कि अशोक कुमार सोनकर (उपरोक्त) में कहा गया है, आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि को विज्ञापन या नियमों में इस संबंध में निर्दिष्ट किसी भी तिथि के अभाव में कट-ऑफ तिथि के रूप में माना जाना आवश्यक है।

च

(iv) राकेश कुमार शर्मा बनाम राज्य (एन. सी. टी. ऑफ इंडिया) पर भरोसा करना।

दिल्ली) और ओआरएस। 5, यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि के अनुसार पात्रता मानदंड/शर्तों की जांच की जानी चाहिए। अपीलार्थियों ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की अंतिम तिथि के बाद आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए थे, इसलिए उन पर संबंधित पद के लिए चयन के लिए विचार नहीं किया गया था।

जी.

4 (2007) 4 एससीसी 54 5 (2013) 11 एससीसी 58 ए

एच.

625

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

(v) ओ. बी. सी.-एन. सी. एल. और ई. डब्ल्यू. एस. की श्रेणी के तहत आरक्षण उम्मीदवारों की वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर है, जबकि व्यक्ति की जाति की स्थिति यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार व्यक्ति के जन्म पर निर्भर करेगा जो कारक स्थिर रहता है। इसलिए, ओ. बी. सी.-एन. सी. एल. और ई. डब्ल्यू. एस. की श्रेणी की गतिशील स्थिति पर विचार करते हुए, सरकार ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिनांकित आई. डी. 1 और आई. डी. 2 जारी किए थे, और तदनुसार अपीलकर्ताओं को उक्त परिपत्रों के अनुसार ऐसे सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने थे, जिन्हें अपीलकर्ता तत्काल मामलों में प्रस्तुत करने में विफल रहे थे।

ग

विश्लेषण और तर्क:

14. सबसे पहले, यह ध्यान देने योग्य है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ. बी. सी.-एन. सी. एल./एम. बी. सी.-एन. सी. एल./ई. डब्ल्यू. एस. जैसी आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र संबंधित राज्य सरकारों के सक्षम अधिकारियों द्वारा भारत के संविधान में निहित प्रावधानों और इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों/सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जारी किए जा रहे हैं। किसी व्यक्ति की स्थिति चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित हो, उस जाति पर निर्भर करती है जिससे वह जन्म से संबंधित है, और ऐसी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी और स्थिर रहेगी, हालांकि, किसी व्यक्ति की स्थिति चाहे वह ओ. बी. सी.-एन. सी. एल./एम. बी. सी.-एन. सी. एल./ई. डब्ल्यू. एस. से संबंधित हो, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगी, और ऐसी स्थिति उसकी आय के आधार पर बदलती रहेगी और इसलिए गतिशील होगी। यह कानून की बहुत अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को एक अलग श्रेणी के रूप में माना जाता था और माना जाता है, और "मलाईदार परत" का सिद्धांत उक्त श्रेणियों पर लागू नहीं होता है। यह केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों पर लागू होता है। इसलिए, ओ. बी. सी.-एन. सी. एल./एम. बी. सी.-एन. सी. एल./ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख यह पता लगाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है कि क्या उम्मीदवार किसी विशेष आरक्षित श्रेणी से संबंधित होने का दावा करता है, उस तारीख को जब उसने ऐसी श्रेणी के तहत प्रश्रुत पद के लिए आवेदन किया था, वास्तव में उस तारीख को उक्त श्रेणी से संबंधित था जिस दिन ऐसा आवेदन किया गया था या विज्ञापन में निर्धारित तिथि पर।

डी.

ई.

च

जी.

15. इस संबंध में, पक्षों के लिए विद्वान वकीलों द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर ध्यान देने से पहले, आइए हम इसके संक्षिप्त इतिहास में झाँके।

आरक्षण, विशेष रूप से "अन्य पिछड़े वर्गों" और "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" की श्रेणी के लिए, जिससे मैं चिंतित हूं। "अन्य पिछड़ा वर्ग" श्रेणी के लिए आरक्षण के मुद्दे पर सबसे ऐतिहासिक निर्णय नौ-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है

इंद्र साहनी और ओआरएस के मामले में। बनाम भारत संघ और अन्य। **6**, में

यह देखा गया कि पिछड़े वर्ग में पिछड़े वर्ग का एक वर्ग है जो समाज के समृद्ध वर्ग से संबंधित है और वे जीवन में आगे की प्रगति के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण के हकदार नहीं हैं। बी. पी. जीवन रेड्डी, जे. द्वारा दिए गए बहुमत निर्णय में, "मीन्स टेस्ट" और "क्रीमी लेयर" शीर्ष के तहत इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए यह देखा गया कि "मीन्स टेस्ट" का अर्थ आय सीमा लागू करना है, जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्ग के उन व्यक्तियों को बाहर करना है जिनकी आय उक्त सीमा से अधिक है, (जिन्हें क्रीमी लेयर से संबंधित व्यक्ति भी कहा जाता है)। यह भी राय दी गई कि "मलाईदार परत" का बहिष्कार सामाजिक प्रगति के आधार पर होना चाहिए न कि केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर। साथ ही, व्यक्ति द्वारा धारण की गई संपत्ति की सीमा तक आय को सामाजिक उन्नति के एक उपाय के रूप में लिया जा सकता है और उस आधार पर सभी जाति/समुदाय/व्यावसायिक समूह के "क्रीमी लेयर" को एक सच्चे पिछड़े वर्ग तक पहुंचने के लिए बाहर रखा जा सकता है। यह भी राय दी गई कि राज्य के लिए पिछड़े वर्गों को उनके सापेक्ष सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़े और अधिक पिछड़े वर्गों में वर्गीकृत करना अस्वीकार्य है। अंततः बहुमत द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि (i) 'मलाईदार परत' हो सकती है और इसे बाहर रखा जाना चाहिए; (ii) यह आवश्यक नहीं है कि वर्ग को पिछड़े वर्ग के रूप में नामित किया जाए कि वह अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समान स्थित हो; (iii) पिछड़े वर्ग के नागरिकों की पहचान केवल और विशेष रूप से आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में नहीं की जा सकती है। सरकार या अन्य प्राधिकरण के लिए जाति के संदर्भ के बिना, व्यवसाय-सह-आय के आधार पर नागरिक के पिछड़े वर्ग की पहचान करने की अनुमति है, यदि यह सलाह दी जाती है; (iv) नागरिकों के पिछड़े वर्गों को पिछड़े या अधिक पिछड़े वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है; (v) भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास कमीशन आदि की प्रकृति में एक स्थायी तंत्र बनाने की शक्ति है, और उन्हें करना चाहिए।

ग

डी.

ई.

च

जी.

16. एम. नागराज और अन्य के मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में। बनाम भारत संघ और अन्य। **7**, संविधान पीठ प्रस्ताव करते हुए

6 1992 पूरक (3) 217 7 (2006) 8 एस. सी. सी. 212 ए

एच.

"औपचारिक समानता" और "आनुपातिक समानता" की अवधारणाएँ, लाभ और बोझ के वितरण के आधार के रूप में, इंद्र साहनी (सुप्रा) के मामले में विकसित "मलाईदार परत" की अवधारणा को संदर्भित करती हैं, और निम्नानुसार राय देती हैं:

“120. इस स्तर पर, एक पहलू का उल्लेख करने की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय का संबंध लाभों और बोझों के वितरण से है। वितरण का आधार अधिकारों, जरूरतों और साधनों के बीच संघर्ष का क्षेत्र है। इन तीन मानदंडों को समानता की दो अवधारणाओं के तहत रखा जा सकता है, अर्थात् "औपचारिक समानता" और "आनुपातिक समानता"। औपचारिक समानता का अर्थ है कि कानून सभी के साथ समान व्यवहार करता है। समतावादी समानता की अवधारणा आनुपातिक समानता की अवधारणा है और यह राज्यों से लोकतांत्रिक राजनीति के ढांचे के भीतर समाज के वंचित वर्गों के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई करने की उम्मीद करती है। इंद्र साहनी में [1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217:1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) अनुपूरक 1:(1992) 22 ए. टी. सी. 385] पांडियान, जे. को छोड़कर सभी न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया कि आरक्षण के लिए निर्धारित संरक्षित समूह से मलाईदार परत को बाहर करने के लिए "माध्य परीक्षण" को अपनाया जाना चाहिए। इंद्र साहनी में [1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217:1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) अनुपूरक 1:(1992) 22 ए. टी. सी. 385] इसलिए, इस न्यायालय ने जाति को पिछड़ेपन के निर्धारक के रूप में स्वीकार किया है और फिर भी इसने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ संतुलन बनाया है जो क्रीमी लेयर की अवधारणा को लाकर संविधान की मूल विशेषता है।

ग

डी.

ई.

17. संविधान पीठ के एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में

अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य का मामला। 8, यह था

राय दी, फिर से "मलाईदार परत" के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए

इंद्र साहनी (ऊपर) कहते हैं:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

“168. जैसा कि पहले देखा गया है, पिछड़े वर्ग का निर्धारण केवल जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता है। गरीबी, सामाजिक पिछड़ेपन, आर्थिक पिछड़ेपन, ये सभी पिछड़ेपन के निर्धारण के मानदंड हैं। यह इंद्र साहनी मामले में देखा गया है [1992 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 217:1992 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) अनुपूरक 1:(1992) 22 ए. टी. सी. 385] कि पिछड़े वर्ग में, पिछड़े वर्ग का एक वर्ग समाज के समृद्ध वर्ग का सदस्य है। वे जीवन में आगे की प्रगति के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण के लायक नहीं हैं। वे सामाजिक और शैक्षिक रूप से इतने उन्नत हैं कि अन्य उम्मीदवारों के साथ सामान्य सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

जी.

एच.

8 (2008) 6 एससीसी 1

628 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

169.....

170. यह समझना चाहिए कि "क्रीमी लेयर" सिद्धांत केवल एक विशेष जाति के एक वर्ग को इस आधार पर बाहर करने के लिए पेश किया गया है कि वे आर्थिक रूप से उन्नत या शैक्षिक रूप से आगे हैं। उन्हें बाहर रखा गया है क्योंकि जब तक जाति के इस वर्ग को उस जाति समूह से बाहर नहीं रखा जाता है, तब तक पिछड़े वर्ग की उचित पहचान नहीं हो सकती है। यदि "क्रीमी लेयर" सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता है, तो यह आसानी से कहा जा सकता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े

वर्गों में शामिल की गई सभी जातियों को विशेष रूप से जाति के आधार पर शामिल किया गया है। केवल जाति के आधार पर अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) या 16 (4) के उद्देश्य से एस. ई. बी. सी. की पहचान इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध है और यह संविधान के अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 16 (1) के खिलाफ भी है। शर्तों को पूरा करने और वास्तव में यह पता लगाने के लिए कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग क्या है, "मलाईदार परत" का बहिष्कार आवश्यक है।

ग

डी.

171-185.....

- यह आगे आयोजित किया गया था:

186. इसके अलावा, शुरू से ही, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को एक अलग श्रेणी के रूप में माना जाता था और किसी ने भी ऐसे वर्गों की पहचान पर विवाद नहीं किया। जब तक "मलाईदार परत" को समानता के सिद्धांतों में से एक के रूप में लागू नहीं किया जाता है, तब तक इसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं किया जा सकता है। अब तक, यह केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए लागू किया जाता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि आरक्षण के उद्देश्य से "क्रीमी लेयर" के सिद्धांत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू नहीं होते हैं।"

ई.

च

18. जहां तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी का संबंध है, संसद ने 103 वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड (6) और अनुच्छेद 16 में खंड (6) जोड़ा था। उक्त संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह कहा गया था कि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं थे, और अनुच्छेद 46 के जनादेश को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और राज्य की सेवाओं में रोजगार में भागीदारी का उचित मौका मिले, भारत के संविधान में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। उक्त 103 वें ए की संवैधानिक वैधता

जी.

एच.

629

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

जनहित अभियान बनाम भारत संघ 9 और 3 के मामले में संशोधन को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी: 2 उक्त संशोधन की वैधता को 07.11.2022 दिनांकित निर्णय के माध्यम से बरकरार रखा गया था।

19. उपरोक्त निर्णयों को उद्धृत करने का कारण केवल यह प्रदर्शित करना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों की स्थिति स्थिर होगी, जबकि ओ. बी. सी.-एन. सी. एल., एम. बी. सी.-एन. सी. एल. और ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों की स्थिति अस्थिर, गतिशील और स्थिर नहीं होगी। इन परिस्थितियों में, राज्य सरकारें समय-समय पर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तय करने के लिए पात्रता मानदंड और ओ. बी. सी.-एन. सी. एल./ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली या प्रक्रिया निर्धारित करते हुए दिशा-निर्देश जारी कर रही हैं।

20. तत्काल मामले में, राजस्थान राज्य ने जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के संबंध में दिनांक 09.09.2015 का परिपत्र जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की वैधता आजीवन होगी, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र केवल एक बार जारी किया जाएगा, और गैर-क्रीमी परत का प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। हालांकि, एक बार "गैर-मलाईदार परत" का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, और यदि आवेदक बाद के वर्ष में भी गैर-मलाईदार परत की श्रेणी में रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक हलफनामा प्रस्तुत किया जाएगा, जिस स्थिति में पहले जारी किए गए "गैर-मलाईदार परत" प्रमाण पत्र को वैध माना जाएगा, और ऐसी प्रक्रिया का पालन अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए किया जा सकता है। उक्त परिपत्र 09.09.2015 को दिनांकित 08.08.2019 परिपत्र के माध्यम से और स्पष्ट किया गया था जिसमें कहा गया था कि अन्य पिछड़े वर्गों का जाति प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए वैध होगा, हालांकि ऐसी स्थिति में जहां आवेदक को "क्रीमी लेयर में नहीं आने" का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, और यदि ऐसा आवेदक बाद के वर्ष में भी "क्रीमी लेयर" के भीतर नहीं आता है, तो उस स्थिति में, "गैर-क्रीमी लेयर" के भीतर आने का पूर्व में जारी प्रमाण पत्र उसके द्वारा सत्यापित हलफनामा प्रस्तुत करने पर वैध माना जाएगा, जिसका पालन अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए किया जा सकता है।

डी.

ई.

च

जी.

21. जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, जैसा कि दिनांक 1 के विज्ञापन के खंड 6 में कहा गया है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एन. सी. एल./एम. बी. सी.-एन. सी. एल./ई. डब्ल्यू. एस. की श्रेणियों के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को उनके द्वारा विधिवत जारी किए गए वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने थे।

एच.

9 डब्ल्यू. पी. (C) 55/2019

630

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

निर्धारित प्रारूप में नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी विज्ञापन के महत्वपूर्ण निर्देशों में यह भी कहा गया था कि आवेदन में भरी गई श्रेणी को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा, और उम्मीदवारों को उन सभी मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना होगा जिनके आधार पर उन्होंने आरक्षण का दावा किया था, यदि राजस्थान उच्च न्यायालय या संबंधित नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा आवश्यक हो।

22. दिनांक 22.07.2021 के उक्त विज्ञापन में निहित उक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि किसी उम्मीदवार ने किसी भी आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन किया था, तो उससे ऐसी श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए अपनी पात्रता दिखाने के लिए निर्धारित प्रारूप में नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक वैध प्रमाण पत्र होने की उम्मीद की जाती थी। उक्त विज्ञापन के खंड 17 में बताए गए इस तरह के आवेदन करने की समय सीमा 31.08.2021 पर शाम 5 बजे तक थी। इन परिस्थितियों में, उम्मीदवार से यह दिखाने के लिए अपेक्षित प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वह आवेदन करने की तारीख को या आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि यानी 31.08.2021 पर संबंधित आरक्षित श्रेणी से संबंधित है। संबंधित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ऐसा प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा दिनांकित 09.09.2015 द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए और जैसा कि दिनांकित 08.08.2019 परिपत्र में स्पष्ट किया गया है, जो ऐसे प्रमाण पत्रों की वैधता के संबंध में मुद्दे को नियंत्रित करता है।

ग

डी.

ई.

23. मान लीजिए कि सभी अपीलकर्ताओं के पास अपने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी 31.08.2021 के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्र थे। जहाँ तक ओ. बी. सी.-एन. सी. एल. श्रेणी का संबंध है, अपीलार्थी ज्योति बेनीवाल ने ओ. बी. सी.-एन. सी. एल. प्रमाण पत्र दिनांकित आई. डी. 6 प्रस्तुत किया था, अपीलार्थी साक्षी अरहा के पास प्रमाण पत्र दिनांकित आई. डी. 3 था, अपीलार्थी प्रियंका के पास प्रमाण पत्र दिनांकित आई. डी. 4 था, अपीलार्थी भव्य कुलहर के पास प्रमाण पत्र दिनांकित आई. डी. 2 था, अपीलार्थी नेहा बतार के पास प्रमाण पत्र दिनांकित आई. डी. 1 था और अपीलार्थी निखिल कटारिया के पास प्रमाण पत्र दिनांकित आई. डी. 5 था। जहाँ तक एम. बी. सी.-एन. सी. एल. का संबंध है, अपीलार्थी सुनील सिंह गुर्जर के पास प्रमाण पत्र दिनांकित 16.06.2022 प्रमाण पत्र था और अपीलार्थी कुलदिप भाटिया के पास दिनांकित 09.03.2022 प्रमाण पत्र था। जहाँ तक ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी का संबंध है, अपीलार्थी पारुल जैन के पास दिनांकित 07.09.2021 प्रमाण पत्र था। इस प्रकार, सभी अपीलकर्ताओं ने अपने संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे जो उनके द्वारा आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि यानी 31.08.2021 के बाद प्राप्त किए गए थे, और दस्तावेजों/ए को भी प्रस्तुत नहीं किया था।

च

जी.

एच.

631

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

इसके समर्थन में शपथ पत्र, दिनांकित 09.09.2015 और 08.08.2019 परिपत्रों के अनुपालन में। इसलिए, साक्षात्कार के समय अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों को वैध प्रमाण पत्र नहीं कहा जा सकता है जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा दिनांकित 22.07.2021 विज्ञापन में अनिवार्य है। 24. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत करने की मांग की गई थी कि अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्रों की वैधता अवधि के बारे में विज्ञापन में कोई विशिष्ट तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था, और बाद में 04.08.2022 दिनांकित नोटिस में अपीलार्थियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश देना, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, अत्यधिक अनुचित था, और चयन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदलने के समान था। न्यायालय उक्त तर्क में कोई सार नहीं पाता है। जैसा कि पहले कहा गया था, विज्ञापन में विशिष्ट निर्देश दिए गए थे कि आरक्षित श्रेणियों के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र जमा करने होते थे, और इसलिए ऐसे प्रमाण पत्र राज्य सरकार के दिनांकित 09.09.2015 और 08.08.2019 के परिपत्रों के अनुरूप होने चाहिए जो ऐसे प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि को नियंत्रित करते थे। उत्तरदाता-उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 04.08.2022 का बाद का नोटिस जिसमें ओ. बी. सी./एम. बी. सी. (एन. सी. एल.) से संबंधित उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि यानी 31.08.2021 से एक साल पहले जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए उक्त परिपत्रों के अनुरूप था। आई. डी. 1 दिनांकित उक्त सूचना में यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि ओ. बी. सी./एम. बी. सी. (एन. सी. एल.) प्रमाण पत्र आई. डी. 2 और आई. डी. 3 के बीच जारी किया गया था, तो जाति प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के लिए, यह कहा गया था कि ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी में आरक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र 01.04.2021 से पहले जारी नहीं किया गया होना चाहिए और यदि आय और संपत्ति प्रमाण पत्र 01.04.2019 और 31.03.2021 के बीच जारी किया गया था, तो प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि एससी/एसटी/ओ. बी. सी./एम. बी. सी./ई. डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यानी 31.08.2021 के बाद जारी नहीं किया गया होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक ऐसे निर्देशों को न तो अनुचित कहा जा सकता है और न ही चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों में बदलाव के रूप में माना जा सकता है, वे विज्ञापन में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुरूप हैं।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

632

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

जाति प्रमाणपत्रों की वैधता अवधि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र।

25. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब कोई उम्मीदवार किसी विशेष आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करता है, तो उसके पास उस तारीख को उस विशेष श्रेणी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जिस दिन वह उक्त श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए अपनी पात्रता दिखाने के लिए आवेदन करता है। यदि ऐसे प्रमाण पत्र उनके आवेदन की तारीख के बाद या विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किए जाते हैं, तो ऐसे प्रमाण पत्रों को वैध प्रमाण पत्र नहीं कहा जा सकता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां उम्मीदवार ओ. बी. सी.-एन. सी. एल. या ई. डब्ल्यू. एस. के तहत आवेदन करता है, जो श्रेणी अत्यधिक गतिशील है और स्थिर नहीं है, क्योंकि उम्मीदवार की आर्थिक स्थिति उम्मीदवार की आय के आधार पर बदलती रहेगी।

ग

26. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा किया गया निवेदन कि विज्ञापन में निर्दिष्ट एक निश्चित तिथि के अभाव में और नियमों में किसी भी प्रावधान के अभाव में, साक्षात्कार की तारीख पर प्रस्तुत प्रमाण पत्र को वैध माना जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा रखने की मांग की गई थी

डी.

डॉली छांडा बनाम अध्यक्ष, जे. ई. ई. और अन्य (ऊपर), राम कुमार गिजरोया बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और एक अन्य (ऊपर) और कर्ण सिंह यादव बनाम सरकार। दिल्ली के एन. सी. टी. और अन्य।

(2016 का एस. एल. पी. (सी) सं. 14948) अपीलार्थियों के लिए शायद ही कोई सहायक हो। डॉली छांडा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए कि सबूत प्रस्तुत करने से संबंधित नियम के प्रत्येक उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी की अस्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, इस बात पर जोर दिया था कि:

ई.

“7. सामान्य नियम यह है कि अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम या पद के लिए आवेदन करते समय, एक व्यक्ति के पास प्रवेश विवरणिका में या आवेदन पत्र में, जैसा भी मामला हो, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अंतिम तिथि पर पात्रता योग्यता होनी चाहिए, जब तक कि इसके विपरीत एक व्यक्ति प्रावधान न हो। इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जा सकती है यानी निर्धारित तिथि तक पात्रता योग्यता रखने के मामले में। इसे आवश्यक प्रमाण पत्र, डिग्री या अंकपत्र प्रस्तुत करके स्थापित किया जाना है। इसी

तरह, आरक्षण या वेटेज आदि का लाभ उठाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं। ये विशेष योग्यता या सुरक्षित अंकों के प्रतिशत या आरक्षण के लाभ के लिए पात्रता के प्रमाण की प्रकृति के दस्तावेज हैं।

च

जी.

एच.

633

साक्षी अरहा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

क.

27. राम कुमार गिजरोया (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने उम्मीदवार को ओ. बी. सी. श्रेणी के तहत संबंधित पद पर चयन के लिए योग्य पाया था, हालांकि उस संबंध में प्रमाण पत्र विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तिथि के बाद प्रस्तुत किया गया था, हालांकि कर्ण सिंह यादव (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय की दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने उस संबंध में आपत्ति व्यक्त की थी, और मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया था। कर्ण सिंह यादव (उपरोक्त) के उक्त मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने हालांकि राम कुमार गिजरोया (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए उक्त मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए संदर्भ पर ध्यान दिए बिना दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अपील का निपटारा कर दिया। जो भी हो, इन दोनों मामलों में से किसी में भी, क्या कोई मुद्दा नहीं था कि क्या उम्मीदवार विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद जारी अपनी आरक्षित श्रेणी को दर्शाते हुए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता था, जैसा कि तत्काल अपीलों में किया गया है।

ग

28. इसके अलावा, किसी भी अपीलार्थी ने अपनी रिट याचिकाओं में ऐसा कोई तर्क नहीं उठाया था कि उन्होंने समय पर आवेदन किया था और प्रमाण पत्र जारी करने में देरी सक्षम अधिकारियों की ओर से थी। मान लीजिए, अपीलकर्ताओं द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष या साक्षात्कार के समय संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांकित 09.09.2015 और 08.08.2019 परिपत्रों में विचार किए गए ऐसे कोई शपथ पत्र दायर नहीं किए गए थे, हालांकि दिनांकित 04.08.2022 के नोटिस में संकेत दिया गया था।

डी.

ई.

निष्कर्ष:

29. यह अब समग्र नहीं है कि आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में इंगित एक निश्चित तिथि के अभाव में, जिसके संदर्भ में आवश्यक पात्रता का निर्णय लिया जाना है, और जब नियम शांत होते हैं, तो पात्रता की जांच के लिए एकमात्र निश्चित तिथि एक उम्मीदवार आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। यह नहीं कहा जा सकता है कि साक्षात्कार या चयन की तारीख हमेशा अनिश्चित होगी और तारीख की अनिश्चितता एक विसंगत स्थिति पैदा कर सकती है क्योंकि वे उम्मीदवार जो आवेदन करने की तारीख को आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करने के योग्य नहीं थे, वे भी आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं और बाद में साक्षात्कार आयोजित होने तक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में, शरारत करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तत्काल मामले में, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31.08.2021 थी और साक्षात्कार अगस्त 2022 में तय किए गए थे। इसलिए, बीच में एक पूरे वर्ष का अंतराल था।

च

जी.

एच.

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और साक्षात्कार की तिथि, जिसके दौरान उम्मीदवारों की "क्रीमी लेयर/नॉन-क्रीमी लेयर/ईडब्ल्यूएस" की आर्थिक स्थिति और परिणामी स्थिति भी बदल गई होगी। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा तय की गई कानून की व्याख्या यह है कि विज्ञापन में इंगित एक निश्चित तिथि के अभाव में, और जब नियम भी शांत हो जाते हैं, तो आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि उम्मीदवारों की पात्रता की जांच की तारीख होगी।³⁰ डॉ. एम. वी. नायर बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ। भारत संघ और अन्य।¹⁰, ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया था कि योग्यता और पात्रता पर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए, जब तक कि आवेदनों के लिए बुलाने वाली अधिसूचना स्वयं एक तिथि निर्दिष्ट नहीं करती है।

ग

31. रेखा चतुर्वेदी बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय और

अन्य ¹¹, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:- “¹⁰. यह तर्क कि उम्मीदवारों की आवश्यक योग्यताओं की जांच चयन की तारीख के संदर्भ में की जानी चाहिए और आवेदन करने की अंतिम तिथि के संदर्भ में नहीं, केवल अस्वीकार किए जाने के लिए कहा जाना चाहिए। चयन की तारीख हमेशा अनिश्चित होती है। ऐसी तिथि की जानकारी के अभाव में पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह बताने में असमर्थ होंगे कि वे विचाराधीन पदों के लिए योग्य हैं या नहीं, यदि उन्होंने अभी तक योग्यता प्राप्त नहीं की है। जब तक विज्ञापन में एक निश्चित तिथि का उल्लेख नहीं किया जाता है जिसके संदर्भ में योग्यताओं का निर्णय किया जाना है, चाहे वह तिथि चयन की हो या अन्यथा, उन उम्मीदवारों के लिए आवेदन करना भी संभव नहीं होगा जिनके पास प्रेजेंट में आवश्यक योग्यता नहीं है। तिथि की अनिश्चितता भी एक विपरीत परिणाम का कारण बन सकती है, अर्थात्, यहां तक कि वे उम्मीदवार जिनके पास प्रेजेंट में योग्यता नहीं है और भविष्य की अनिश्चित तिथि पर उन्हें प्राप्त करने की संभावना है, वे पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिससे आवेदनों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन एक और भी बुरा परिणाम हो सकता है, जिसमें यह कदाचार के लिए एक गुंजाइश छोड़ सकता है। चयन की तारीख इतनी निश्चित या हेरफेर की जा सकती है कि कुछ आवेदकों का मनोरंजन किया जा सके और दूसरों को मनमाने ढंग से अस्वीकार कर दिया जा सके। इसलिए, विज्ञापन/अधिसूचना में इंगित एक निश्चित तिथि के अभाव में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जिसके संदर्भ में आवश्यक योग्यताएं होती हैं।

डी.

ई.

च

जी.

10 (1993) 2 एस. सी. सी. 429

11 1993 पूरक (3) एस. सी. सी. 168 ए

एच.

माना जाना चाहिए, योग्यता की जांच के लिए केवल एक निश्चित तिथि आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। इसलिए, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि जब वर्तमान मामले में चयन समिति, जैसा कि श्री मनोज स्वरूप ने तर्क दिया है, ने आवेदनों को प्राथमिकता देने की अंतिम तिथि के बजाय चयन की तारीख को आवश्यक योग्यताओं को ध्यान में रखा, तो उसने पेटेंट अवैधता के साथ काम किया, और इस आधार पर ही विचाराधीन चयन रद्द किए जाने योग्य हैं। इस संबंध में ए. पी. में इस न्यायालय के हाल के दो फैसलों का भी उल्लेख किया जा सकता है।

लोक सेवा आयोग, हैदराबाद बनाम बी. शरत

चंद्रा [(1990) 2 एस. सी. सी. 669:1990 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 377:(1990) 4 एसएलआर 235:(1990) 13 ए. टी. सी. 708] और जिला कलेक्टर और

ग

अध्यक्ष, विजयनगरम समाज कल्याण आवासीय विद्यालय सोसायटी, विजयनगरम बनाम एम. त्रिपुरा सुंदरी देवी [(1990) 3 एससीसी 655:1990 एससीसी (एल एंड एस) 520:(1990) 4 एसएलआर 237:(1990) 14 एटीसी 766]।"

32. अशोक कुमार शर्मा मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

डी.

& ओआरएस। बनाम चंदर शेखर और अन्न। **12**, निम्नानुसार देखा गया:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"6. यह प्रस्ताव कि जहां आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि के रूप में किसी विशेष तिथि को निर्धारित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, उम्मीदवारों की पात्रता को उस तिथि और केवल उस तिथि के संदर्भ में आंका जाना चाहिए, एक अच्छी तरह से स्थापित है। एक व्यक्ति जो ऐसी निर्धारित तिथि के बाद निर्धारित योग्यता प्राप्त करता है, उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जा सकता है। आवेदनों के लिए जारी/प्रकाशित एक विज्ञापन या अधिसूचना जनता के लिए एक प्रतिनिधित्व का गठन करती है और इसे जारी करने वाला प्राधिकरण इस तरह के प्रतिनिधित्व से बाध्य है। यह इसके विपरीत कार्य नहीं कर सकता है। इस प्रस्ताव के पीछे एक कारण यह है कि यदि यह ज्ञात होता कि जिन व्यक्तियों ने निर्धारित तिथि के बाद लेकिन साक्षात्कार की तारीख से पहले योग्यता प्राप्त की है, उन्हें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, तो इसी तरह के अन्य व्यक्ति भी आवेदन कर सकते थे। सिर्फ इसलिए कि कुछ व्यक्तियों ने आवेदन किया था, इसके बावजूद कि उन्होंने निर्धारित तिथि तक निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं की थी, उन्हें वरीयता के आधार पर नहीं माना जा सकता था।"

ई.

च

जी.

33. यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि अपीलकर्ताओं को अंतिम तिथि के बाद जारी किए गए प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी

एच.

12 (1997) 4 एससीसी 18

636

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

विज्ञापन में उल्लिखित आवेदनों को जमा करना यानी 31.08.2021, अपीलकर्ताओं के समान स्थित अन्य उम्मीदवार उन्हें ऐसा अवसर नहीं देने के लिए शिकायत कर सकते हैं। अपीलार्थी जो चूककर्ता हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों को वैध स्वीकार करके उन्हें वरीयता नहीं दी जा सकती थी, हालांकि वे विज्ञापन में निर्धारित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किए गए थे। उक्त प्रमाणपत्रों को सरकारी परिपत्रों दिनांक 09.09.2015 और 08.08.2019 के अनुसार आवश्यक शपथ पत्रों द्वारा भी समर्थित नहीं किया गया था।

34. मामले के पूर्व-वर्णित तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं को देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णयों और आदेशों को पारित करते समय कोई त्रुटि हुई है। मामले के उस दृष्टिकोण में, योग्यता से रहित होने के कारण अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

ग

अंकित ज्ञान

मामला माननीय सीजेआई के समक्ष रखा जाए

(सहायक: तमन्ना, एलसीआरए)

उपयुक्त न्यायपीठ के गठन के लिए।

डी.

ई.

च

जी.

एच.